

न्यायालय – अकबर शेख, अपर सत्र न्यायाधीश, मनावर, जिला धार (म.प्र.)

विशेष प्रकरण क्रमांक-15/18
संस्थित दिनांक: 05-01-2018
CNR No.MP11060000352018

म.प्र. राज्य द्वारा
पुलिस थाना- मनावर
जिला धार (म.प्र.)

....: अभियोजन पक्ष

वि रू द्ध

करण उर्फ फतिया पिता भारत, जाति-भील
आयु 19½ वर्ष, धंधा-मजदूरी
निवासी-जगन्नाथपुरा मनावर
जिला धार (म.प्र.)

.....: अभियुक्त

राज्य द्वारा- : श्री शरद कुमार पुरोहित, अपर लोक अभियोजक ।
अभियुक्त द्वारा - : श्री नासिर खान, अधिवक्ता ।

: : नि र्ण य : :

(आज दिनांक : 17 मई, 2018 को घोषित)

- 1- अभियुक्त करण उर्फ फतिया पर धारा 363, 376 (2) (आई), 302, 201 भारतीय दण्ड संहिता 1860 तथा धारा 5 (एम) सहपठित धारा 6 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 के अधीन इस आशय के दोषारोप हैं कि उसने दिनांक 15-12-2017 को 5:30 बजे से 7:00 बजे के मध्य थाना मनावर जिला धार क्षेत्रान्तर्गत जगन्नाथपुरा मनावर में फरियादी (अ.सा.-1) की अवयस्क पुत्री अभियोक्त्री, जो कि 18 वर्ष से कम आयु की बालिका थी, को उसके वैध संरक्षक की संरक्षकता से हटाकर व्यपहरण किया तथा अभियोक्त्री, जो कि 16 वर्ष से कम थी, को मान नदी किनारे ले जाकर उसकी इच्छा व सहमति के विरुद्ध उसके साथ सम्भोग कर बलात्संग कारित कर साशय या ज्ञानपूर्वक उसकी मृत्यु कारित कर हत्या की तथा अभियोक्त्री के साथ बलात्कार कर हत्या करने के पश्चात् उसका मृत शरीर मान नदी किनारे फेंक अथवा छिपाकर साक्ष्य का विलोपन किया और 12 वर्ष से कम आयु की अभियोक्त्री पर गुरुत्तर प्रवेशन लैंगिक हमला किया ।
- 2- लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 की धारा 33 (7) के अनुपालन में "बालक" की पहचान प्रकट न हो, इस प्रयोजन से "बालक" को "अभियोक्त्री/पीड़िता", उसके पिता को (अ.सा.-1) अंकित किया जा रहा है।

3- अभियोजन का मामला संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक 16.12.17 को 10:00 बजे फरियादी (अ0सा0-1) निवासी जगन्नाथपुरा मनावर ने थाना मनावर पर उपस्थित होकर बताया कि वह मजदूरी करता है, उसकी दो लड़कियां तथा एक लड़का है। मृतिका (अभियोक्त्री) जिसकी उम्र 04 वर्ष है, दूसरे नम्बर की लड़की थी। दिनांक 15-12-17 को शाम करीब 5:30 बजे जब वह मजदूरी करके घर लौटा और बच्चों के लिए कचोरी लेकर घर आया तथा तीनों बच्चों को कचोरी खिलाई, फिर वह 6:30 बजे के आसपास बाजार में गुटका लेने गया था तब अभियोक्त्री घर के सामने परमल की थैली लेकर परमल खा रही थी। जब वह शाम करीब 7:00 बजे घर आया और उसके घर के पास ही बड़े मामा के घर के सामने खड़ा था तभी उसकी मां कक्कूबाई उसे बोलने आई कि अभियोक्त्री मिल नहीं रही है। इस पर उसने, उसके भाई ओम, अजय, उसकी पत्नी रंजूबाई और मां कक्कूबाई ने गांव में तथा आसपास के क्षेत्रों में अभियोक्त्री की तलाश प्रारंभ की किन्तु वह नहीं मिली। दिनांक 16.12.17 को सुबह वह और विनोद गोपालपुरा तरफ अभियोक्त्री की तलाश में गये थे इतने में उसके मामा के लड़के मांगीलाल मोबाईल पर बताया कि अभियोक्त्री मान नदी के किनारे मरी पड़ी है तो वह जल्दी से गया और देखा तो उसकी लड़की अभियोक्त्री मान नदी के किनारे मरी पड़ी थी, उसका सिर कुचला हुआ था और अभियोक्त्री के बदन पर कपड़े नहीं थे, जांघ और गुप्तांग पर लाल-लाल चोट के निशान हैं, शरीर पर भी खून लगा था, अभियोक्त्री ने जो पेंट पहनी थी वह भी नहीं थी। अभियोक्त्री की लाश के पास में ही एक खून लगा पत्थर पड़ा था। फरियादी अ.सा.-1 की उक्त सूचना पर से थाना मनावर में देहाती नालिसी क्र. 0/17 पर धारा 363, 376 (2) (आई), 302 भा.दं.वि. एवं धारा 3/4, 5 (एम)/6 पाक्सो एक्ट के अधीन प्रदर्श पी.-1 संजय रावत निरीक्षक थाना मनावर (अ.सा. 21) द्वारा लेखबद्ध की गई और दिनांक 16-12-17 को सूचनाकर्ता की सूचना के आधार पर देहाती मार्ग इंटीमेशन क्रमांक 0/17 धारा 174 दं.प्र. सं. के अधीन प्रदर्श पी. 2 दर्ज की गई और धारा 174 दं.प्र.सं. के अधीन मार्ग इंटीमेशन रिपोर्ट प्र.पी. 17 लेखबद्ध की गई साथ ही दिनांक 16.12.17 को ही थाना मनावर में अज्ञात व्यक्ति के विरुद्ध अपराध क्रमांक 750/17 उक्त धाराओं के अधीन प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श पी. 18 लेखबद्ध की गई और मामला जांच में लिया गया।

4- जांच के क्रम में दिनांक 16.12.17 को ही निरीक्षक संजय रावत द्वारा पंचायत नाम (मृत्यु जांच) में उपस्थित होने के लिये पंचों को तलब करने हेतु सफीना फार्म प्र.पी. 30 जारी किया और पंचों के उपस्थित होने पर उनके समक्ष लाश का नक्षा पंचायतनामा प्र.पी. 3 तैयार किया गया। घटनास्थल पर पहुंचकर साक्षीगण के समक्ष नक्षा मौका प्र.पी. 5 तैयार किया

गया। मृतिका के शव को परीक्षण हेतु आवेदन प्र.पी. 31 के साथ सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र मनावर भिजवाया गया तत्पश्चात् शव को परीक्षण हेतु फॉरेंसिक मेडिसिन एवं टाक्सीकालाजी विभाग महात्मा गांधी स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय इन्दौर भेजा गया जहां पदस्थ सहायक प्राध्यापक डॉ. ए. के. रस्तोगी, आर.एम.ओ. डॉ. नानदीप कुशवाह, सी.एम.ओ. डॉ. मालती सोलंकी, मेडिकल आफिसर डॉ. कीर्ति बौरासी तथा मेडिकल आफिसर डॉ. भाटुलाल राठौर की पेनल द्वारा शव परीक्षण कर 6 पृष्ठीय रिपोर्ट प्र.पी. 26 प्रेषित की गई। तत्पश्चात् अभियोक्त्री के शव को उसके पिता मुन्ना के सुपुर्द कर सुपुर्दगीनामा प्र.पी. 4 बनाया गया। सीन ऑफ काईम मोबाईल यूनिट पुलिस अधीक्षक कार्यालय धार को सूचित किये जाने पर पिकी मेहरडे (अ.सा.-18) वैज्ञानिक अधिकारी एफ.एस.एल. (मोबा.) यूनिट जिला धार द्वारा घटनास्थल पर पहुंचकर निरीक्षण उपरांत रिपोर्ट प्र.पी. 29 दी गई। वैज्ञानिक अधिकारी द्वारा उसकी रिपोर्ट में अभिलिखित किया गया कि निरीक्षण के दौरान घटनास्थल पर पाये गये भौतिक साक्ष्यों के आधार पर प्रथम दृष्ट्या घटना दुष्कर्म उपरांत हत्या की होना प्रतीत होती है फिर घटनास्थल पर पाये गये भौतिक साक्ष्यों, मृतिका के पी.एम. उपरांत जप्त प्रदर्शो, अभियुक्त के मेडिकल परीक्षण उपरांत जप्त प्रदर्शो का डी.एन.ए. परीक्षण जाकर अभिमत प्राप्त कर एवं विवेचना के दौरान पाये गये तथ्यों व परिस्थितिजन्य साक्ष्य के आधार पर अग्रिम कार्यवाही किया जाना अभिलिखित किया गया तथा घटनास्थल एवं शव की विभिन्न कोणों से फोटोग्राफी कराये जाने, मृत्यु का स्पष्ट कारण जानने के लिए शव का पी.एम. कराने, घटनास्थल से रक्त जैसे धब्बेयुक्त छोटा व बड़ा पत्थर, गोखरूयुक्त रक्त जैसे धब्बेयुक्त मिटटी, सादा मिटटी, लाल पीला श्रीराम लिखा कपड़ा, मृतिका के बांये हाथ में पाये गये बाल पृथक-पृथक सुरक्षित करने हेतु विवेचना अधिकारी को निर्देश दिये गये। शव परीक्षण करने वाले चिकित्सक से मृतिका की मृत्यु का स्पष्ट कारण, प्रकार एवं समय के बारे में राय पूछने बाबत निर्देश दिये गये। मृतिका के शरीर पर आंतरिक एवं बाहरी चोट, फ्रैक्चर, रगड आदि के बारे में स्पष्ट राय पूछने संबंधी निर्देश दिये गये और वे किस प्रकार आना संभव थी, इस बाबत राय जानने हेतु अनुसंधानकर्ता को निर्देशित किया गया।

- 5- उक्त निरीक्षण रिपोर्ट में यह भी राय जानने हेतु निर्देश जारी किये गये कि क्या मृतिका के साथ बलात्संग हुआ है? इसके अलावा घटना के समय पहने कपड़े, वैजाइनल स्लाईड, स्वाब, विसरा, नाखूनों की कतरने सुरक्षित कर जप्त करने तथा अभियुक्त के पकड़े जाने पर उसके घटना के समय पहने कपड़े, मेडिकल परीक्षण उपरांत अभियुक्त की सीमन स्लाईड प्यूबिक हेयर नाखूनों की कतरने जप्त कर परीक्षण हेतु न्यायालयिक प्रयोगशाला भेजे

जाने संबंधी निर्देश अनुसंधानकर्ता अधिकारी को दिये गये।

6- अनुसंधान के अगले क्रम में दिनांक 16.12.17 को मृतिका के पिता अ.सा.-1 काजल, दुर्गा के कथन लेखबद्ध किये गये। साक्षियों के कथनों में आये तथ्यों के आधार पर रात्रि 9 बजे अभियुक्त करण उर्फ फतिया पिता भारत को जगन्नाथपुरा मनावर से साक्षी मांगीलाल व मुकेश की उपस्थिति में गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पंचनामा प्र.पी. 6 बनाया गया। अभियुक्त को गिरफ्तार करने के बाद उसे चिकित्सकीय परीक्षण हेतु सामु. स्वा. केन्द्र मनावर आवेदन पत्र प्र.पी.-21-ए के द्वारा भेजा गया। दिनांक 17.12.17 को अभियुक्त करण उर्फ फतिया ने अभिरक्षा में रहते हुए पंच साक्षी मांगीलाल एवं मुकेश के समक्ष दी गई सूचना के आधार पर धारा 27 साक्ष्य विधान के अधीन मेमोरंडम प्र.पी. 8 तैयार किया गया जिसमें अभियुक्त ने आरोपी द्वारा दी गई सूचना के आधार पर आरोपी करण उर्फ फतिया ने पंच मांगीलाल और मुकेश के समक्ष पैदल चलकर जगन्नाथपुरा के पास में मान नदी के उत्तरी किनारे पर गड्ढे में गुफा के पास ले जाकर वहां पर अभियोक्त्री के साथ बलात्कार करना और उसका सिर वहां पड़े पत्थर पर ठोकना बताया। उसके बाद उक्त स्थान से लगभग 175 कदम दूरी पर अभियोक्त्री को बेहोशी की हालत में खुले स्थान पर ले जाकर उसके सिर पर दो बार पत्थर पटक कर हत्या करना बताया। तत्संबंध में तस्दीक पंचनामा घटनास्थल प्र.पी. 8 तैयार किया गया। अभियुक्त ने पूछताछ के दौरान प्रश्नगत घटना कारित करना बताया तथा मृतिका के साथ कारित घटनास्थल के बारे में जानकारी दी एवं स्वयं के खून लगे स्वयं के धार में निकालकर दिये।

7- अभियुक्त के उक्त मेमोरंडम के आधार पर पुलिस द्वारा घटनास्थल से मृतिका अभियोक्त्री की आसमानी कलर की खून आलूदा काटन की जींस, अभियुक्त की एक जोड़ प्लास्टिक की चप्पल 9 नम्बर की, जिन पर खून लगा था, एक खून आलूदा पत्थर जिसकी लम्बाई लगभग 11 इंच, चौड़ाई 5 इंच, उंचाई 6 इंच वजनी लगभग 10 किलो तथा हरी पन्नी में 10 ग्राम सेंव तथा परमल भरे हुए जप्त कर जप्ती पंचनामा प्र.पी. 10 साक्षी मांगीलाल व मुकेश के समक्ष तैयार किया गया। इसी प्रकार घटनास्थल से एक पुरानी मटमैली काले कलर की जींस पेंट जिस पर अंग्रेजी में "CREATIVE LIFE" दोनों पीछे की तरफ उपरी भाग पर लिखा होकर पेंट के दाहिने एवं बांये पैर के घुटनों पर खून के दाग लगे हुए, एक स्लेटी कलर का पुराना शर्ट फुलबॉह का जिसके उपर अंग्रेजी में SIR लिखा होकर शर्ट के सामने के भाग एवं बटन के भाग पर तथा दोनों अस्तिनों पर खून लगा हुआ था, जप्त कर जप्ती

पंचनामा प्र.पी. 9 तैयार किया गया। घटनास्थल से सादी मिट्टी एवं खून आलूदा मिट्टी तथा एक ठोस पत्थर खून आलूदा जप्त कर जप्ती पंचनामा प्र.पी. 12 तैयार किया गया। आरोपी के मेडिकल परीक्षण उपरांत अस्पताल से प्राप्त सीलबंद पैकेट जिसमें सी. एच. सी. मनावर की सील लगी हुई जिसमें आरोपी की अण्डरवियर थे तथा दूसरा पैकेट जिसमें सी.एच.सी. मनावर की सील चपड़ी लगी होकर डॉ. संजय मुवेल मेडिकल आफिसर द्वारा हस्ताक्षरित जप्ती चिट जिसके अंदर आरोपी की मेडिकल जांच स्लाईड दो एवं नाखून थे, को जप्त कर जप्ती पंचनामा प्र.पी. 14 तैयार किया गया।

8- मृतिका के शव परीक्षण उपरांत एम. व्हाय. हास्पिटल इंदौर से प्राप्त एक सीलबंद प्लास्टिक का डिब्बा जिस पर एम.व्हाय.एच. इंदौर की चपड़ी लगी होकर चिट चस्पा होकर उसके अंदर मृतिका का बिसरा, पिसेस आफ लंग्स, लिवर, स्पिलिन, किडनी तथा एक सीलबंद प्लास्टिक का डिब्बा जिस पर अस्पताल की चपड़ी सील एवं चिट लगी हुई होकर उसके अंदर मृतिका का बिसरा, स्टोमक, पिसेस ऑफ स्माल इन्टेन्शन एण्ड इट्स कन्टेन्ट्स होकर जप्ती चस्पा चिट पर लेख था तथा एक सीलबंद प्लास्टिक की डिब्बी जिसके अंदर मृतिका के बांये हाथ में पाये गये बालों का गुच्छा बेच रिकवर फ्राम लेफ्ट हेण्ड फिस्ट होना जप्ती चिट पर लेख है, चपड़ी सील एम.व्हाय.एच. इंदौर की लगी होकर तथा एक सीलबंद प्लास्टिक की डिब्बी जिसके अंदर मृतिका का लंग्स पाईरेटेड मडी रिकवर ट्रेस्ड होना चस्पा जप्ती चिट पर लेख किया गया हुआ तथा एक सफेद कपड़े का सीलबंद पैकेट जप्ती चिट बर्नी होकर एम. व्हाय. एच. की सील लगी हुई जिसमें मृतिका की टीबिया बोन थी, को तथा एक सफेद कपड़े में सीलबंद पैकेट जप्ती व चपड़ी सील लगी होकर अंदर मृतिका का वैजाइनल स्वाब 03 सीमन स्लाईड होना लेख था, को तथा एक सफेद कपड़ें का सीलबंद पैकेट जिसमें मृतिका अभियोक्त्री का अनल स्वाब व सीमन स्लाईड होना लेख है जप्त किया गया। एक छोटी शीशी कांच की सील बंद जप्ती चपड़ी लगी बर्नी जिसमें नमक का घोल नमूना तथा एक सील नमूना एम0 व्हाय0 एच0 इंदौर का जप्त कर जप्ती पंचनामा प्र.पी. 15 तैयार किया गया। अनुसंधान के दौरान दिनांक 17.12.17 को साक्षी संतोषी, बुधा, कक्कूबाई, मांगीलाल, मुकेश, ओम, अजय, रंजूबाई, बेसरबाई, नानभू, पप्पू, महादेव, विनोद, धारजी, सोहनलाल के कथन उनके बताये अनुसार लेखबद्ध किये गये। धारा 164 दण्ड प्रक्रिया संहिता के अधीन दिनांक 18.12.17 को साक्षी दुर्गा, काजल, संतोषी तथा दिनांक 22.12.17 को साक्षी मांगीलाल व मुकेश कथन के न्या. मजि. प्र. श्रे. कुक्षी के समक्ष लेखबद्ध कराये गये।

9- अनुसंधान के अगले क्रम में पुलिस द्वारा दिनांक 28.12.17 को अभियुक्त को DNA टेस्ट हेतु ब्लड सेम्पल के लिए सामु. स्वा. केन्द्र मनावर भेजा गया और डॉ. संजय मुवेल द्वारा अभियुक्त का ब्लड सेम्पल कलेक्ट कर फार्म प्र.पी. 22 तैयार किया गया जिसका पत्र प्र.पी. 22 है। इसके उपरांत दिनांक 28.12.17 को एक लाल पीले रंग के थर्मस जिसके अंदर अभियुक्त करण उर्फ फतिया पिता भारत भील आयु 19 वर्ष निवासी जगन्नाथपुरा मनावर का एक सील बंद चपड़ी सील सी.एच.सी. मनावर की लगी हुई तथा डॉ. संजय मुवेल द्वारा हस्ताक्षरित E.D.T.A. वायल 2 ml ब्लड सेम्पल पंच के समक्ष जप्त किया गया और एक सील नमूना सी. एच. सी. मनावर का जप्त कर जप्ती पंचनामा प्र.पी. 16 तैयार किया गया। घटनास्थल का मौका पंचनामा तथा नजरी ट्रेश नक्षा प्राप्त करने संबंधी थाना प्रभारी मनावर द्वारा तहसीलदार मनावर को पत्र प्र.पी. 17 भेजा गया जिस पर से तहसीलदार मनावर द्वारा पत्र क्रमांक 6334/री-1/2017 मनावर दिनांक 19.12.17 के जयें घटनास्थल का नजरीय ट्रेश प्रदर्श पी. 20 प्रदाय किया गया। अभियोक्त्री के जन्म के संबंध में खण्ड चिकित्सा अधिकारी मनावर द्वारा दस्तावेज प्रदर्श पी. 23 सी एवं 24 सी प्राप्त किया गया तथा अभियोक्त्री का जन्म प्रमाण पत्र प्र.पी. 25 रजिस्ट्रार (जन्म-मृत्यु) सामु. स्वा. केन्द्र मनावर से प्राप्त किया गया जिसके अनुसार अभियोक्त्री की जन्म तिथि 28.11.2013 है। घटनास्थल, साक्षियों के कथन, अभियुक्त करण उर्फ फतिया के कथन तथा जप्ती की कार्यवाही की विडियोग्राफी फोटोग्राफर सोहनलाल काग से करवाई जाकर उसके द्वारा C D कम्प्यूटर पर तैयार की गई और इस संबंध में धारा 65 बी साक्ष्य अधिनियम के तहत प्रमाण पत्र प्र.पी. 13 प्राप्त किया गया।

10- घटनास्थल से जिन सम्पत्तियों को जप्त किया गया था उनमें से पुलिस अधीक्षक धार के ज्ञापन प्रदर्श पी. 5 अनुसार जप्तशुदा अभियुक्त फतिया का एक E.D.T.A. वायल, मटमैले रंग की जींस पेंट, स्लेटी कलर का पुराना शर्ट, अभियुक्त की अण्डरवियर, एक पत्थर जिसकी लम्बाई 10 इंच चौड़ाई 7 इंच , उंचाई 4 इंच, आसमानी कलर की काटन की जींस मृत्तिका के कपड़े का पैकेट, मृत्तिका के बांये हाथ में पाये गये बालों का गुच्छा, मृत्तिका की वैजाईनल स्वाब 3 और स्लाईड जिन पर कमशः आर्टीकल-A,B,C,D,E,F,G,H,I,J अंकित किया जाकर उक्त सामग्री को एवं ज्ञापन प्र.पी. 35 अनुसार एक सिलबंद प्लास्टिक की डिब्बी में जिसमें मृत्तिका का लंग्स, पाईरेटेड मडी रिकवर ट्रेक्ट मड रिकवर्ड फ्रम रेस्पाईरेटरी ट्रेक्ट था पर प्रदर्श S व T अंकित कर उक्त सामग्री को राज्य न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला सिविल लाईन्स सागर भिजवाये गये जिसकी पावती प्राप्त की गई जो प्र.पी. 34 है। इसी प्रकार

पुलिस अधीक्षक धार के ज्ञापन प्रदर्श पी 36 अनुसार एक पत्थर जिस पर खून लगा 10 किलो वजनी पत्थर की लम्बाई लगभग 11 इंच, चौड़ाई 5 इंच, उंचाई 6 इंच है होकर एक भाग कटा हुआ है तथा घटनास्थल से जप्त की गई सादा मिट्टी व रक्तरंजित मिट्टी जिस पर आर्टिकल N, O व P अंकित किया गया तथा ज्ञापन प्र.पी 37 अनुसार मृत्तिका का बिसरा, पिसेस आफ लंग्स, लीवर, स्पिलिन, किडनी तथा एक प्लास्टिक की डिब्बी में मृत्तिका का स्टोमक पिसेस आफ स्माल इंटेस्टाईन को एवं एक सीलबंद नमक घोल आर्टिकल K, L, और M प्रदर्श अंकित कर संयुक्त निदेशक क्षेत्रीय न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला झूमर घाट राउ जिला इंदौर की ओर जांच हेतु भिजवाये गये और माल जमा करने की पावती प्र.पी. 38 व 39 प्राप्त की गई। इसी प्रकार पुलिस अधीक्षक धार के माध्यम से थाना प्रभारी आरक्षी केन्द्र मनावर द्वारा से प्रदर्श पी. 32 अनुसार दिनांक 28.12.17 को DNA जांच हेतु कलेक्ट किये गये सेम्पल को State Forensic Science Laboratory, Govt. of M.P. DNA Fingerprinting Unit Civil Lines, Sagar (MP) को भेजे गये।

11- जांच हेतु सम्पत्तियों को भेजे जाने के उपरांत दिनांक 23.01.2018 को क्षेत्रीय न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला झूमरघाट (राउ) जिला इंदौर से डॉ. अजय कुमार शर्मा वैज्ञानिक अधिकारी के हस्ताक्षरित जांच रिपोर्ट प्र.पी. 41, डॉ. प्रदीप कुमार गौड, ज्येष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी एवं सहायक रासायनिक परीक्षक म.प्र. शासन क्षेत्रीय न्याया. विज्ञान प्रयोगशाला इंदौर की हस्ताक्षरित जांच रिपोर्ट प्र.पी. 42, राज्य न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला, म0प्र0 शासन सिविल लाईन्स सागर, डीएनए फिंगर प्रिंट यूनिट से डॉ. अनिल कुमार सिंह वैज्ञानिक अधिकारी की हस्ताक्षरित डीएनए परीक्षण रिपोर्ट प्र.पी. 40 प्राप्त हुई। अनुसंधान की अन्य औपचारिकताएं पूर्ण करने के उपरांत अनुसंधान में प्राप्त निष्कर्षों, साक्षियों के कथनों से अभियुक्त करण उर्फ फतिया के विरुद्ध अभियोक्त्री का व्यपहरण कर उसके साथ बलात्कार करने, उसकी हत्या करने एवं हत्या के उपरांत मृत्तिका के शव को मान नदी में छिपा कर साक्ष्य का विलोपन करने का अपराध पाये जाने से अभियुक्त के विरुद्ध पुलिस थाना मनावर द्वारा दिनांक 04-01-2018 को धारा 363, 376(2)(आय), 302, 201 भा.दं.सं. एवं धारा 3/4, 5 (एम)/6 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 के अधीन अभियोग पत्र इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

12- अभियुक्त करण उर्फ फतिया पर मेरे विद्वान पूर्वाधिकारी द्वारा धारा 363, 376 (2) (आई), 302, 201 भारतीय दण्ड संहिता 1860 तथा धारा 5 (एम) सहपठित धारा 6 लैंगिक

अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 के अधीन आरोप विरचित कर अभियुक्त को पढ़कर सुनाये व समझाये जाने पर उसके द्वारा अपराध करना अस्वीकार किया गया।

13- धारा 313 दण्ड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत अभियुक्त का परीक्षण किये जाने पर अभियुक्त ने समस्त परिस्थितियों के बारे में मात्र “पता नहीं” या “गलत है” होना व्यक्त करते हुए स्वयं को निर्दोष होना बताते हुए झूठा फंसाया जाना व्यक्त किया। अभियुक्त द्वारा स्वयं की प्रतिरक्षा में कोई भी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई है।

14- प्रकरण के निराकरण हेतु विचारणीय प्रश्न निम्न हैं –

- 1- क्या घटना दिनांक 15.12.17 को अभियोक्त्री 12 वर्ष से कम उम्र की अवयस्क बालिका थी ?
- 2- क्या घटना दिनांक 15.12.17 को शाम 5:30 से 7:00 बजे के मध्य जगन्नाथपुरा मनावर में अभियुक्त ने अवयस्क अभियोक्त्री को उसके वैध संरक्षक की संरक्षकता से हटाकर व्यपहरण कारित किया ?
3. क्या अभियुक्त ने अभियोक्त्री के साथ उसकी इच्छा व सहमति के विरुद्ध बलात्संग कारित किया ?
- 4- क्या पीड़िता 12 वर्ष से कम आयु की होकर अभियुक्त द्वारा उस पर गुरुत्तर प्रवेशन लैंगिक हमला कारित किया?
5. क्या उक्त घटना दिनांक, समय व स्थान पर अभियुक्त ने अभियोक्त्री के साथ बलात्कार करने के उपरांत साशय या ज्ञानपूर्वक मृत्यु कारित कर हत्या की?
- 6- क्या उक्त घटना दिनांक, समय व स्थान पर अभियुक्त ने अभियोक्त्री की हत्या करने के पश्चात् उसके मृत शरीर को मान नदी किनारे फेंककर अथवा छिपाकर साक्ष्य का विलोपन किया ?

– सकारण निष्कर्ष –

विचारणीय बिन्दु कं. 1 पर निष्कर्ष :-

- 15- प्रश्नगत घटना दिसम्बर 2017 में घटित हुई थी। अतः ऐसी स्थिति में पीड़िता की आयु का निर्धारण किशोर न्याय (बालकों की देखरेख तथा संरक्षण) अधिनियम 2015 के अनुसार किया जाना है। उक्त अधिनियम की धारा 94 में आयु की उपधारणा और अवधारणा के संबंध में प्रावधान किये गये हैं जिसके अनुसार आयु अवधारण हेतु (1)– विद्यालय से प्राप्त जन्म तारीख प्रमाण –पत्र, या संबंधित परीक्षा बोर्ड से मैट्रिकुलेशन या समतुल्य प्रमाण–पत्र, यदि उपलब्ध हो, और उसके अभाव में (2)– निगम या नगरपालिका प्राधिकारी या पंचायत द्वारा दिया गया जन्म प्रमाण–पत्र, (3)– उपरोक्त (1) और (2) के अभाव में, आयु का अवधारण समिति या बोर्ड के आदेश पर की गई अस्थि जांच या कोई अन्य नवीनतम चिकित्सीय आयु अवधारण जांच के आधार पर किया जाएगा। उक्त अधिनियम की धारा 110 की उपधारा 1 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त

शक्तियों का प्रयोग करते हुए बनाये गये आदर्श नियम 2016 के नियम 54 उपनियम 18 (4) के अनुसार बालक के साथ अपराधों के संबंध में पीडित की आयु के निर्धारण हेतु, अधिनियम के अधीन, इस अधिनियम की धारा 94 के अधीन बोर्ड तथा समिति हेतु अधिदेशित प्रक्रियाओं का पालन किया जायेगा।

16- प्रकरण में अभियोजन के अनुसार अभियोक्त्री की आयु 04 वर्ष होना व्यक्त किया गया है। इस सन्दर्भ में अ0सा0-1, दुर्गा अ0सा0-2, काजल अ.सा.-3, मुकेश अ.सा. 5, लोकेश अ.सा. 7, ओम अ.सा.-8, नवलसिंह अ0सा. 11 ने मौखिक साक्ष्य के दौरान यह व्यक्त किया है कि अभियोक्त्री की आयु घटना दिनांक को लगभग 04 वर्ष की थी। संतोषी अ.सा.-4, जिसे "बाल-साक्षी" के रूप में परीक्षित कराया गया है उसने स्वयं की आयु 05 वर्ष तथा अभियोक्त्री को उसकी छोटी बहन होना व्यक्त किया है जिसे बचाव पक्ष द्वारा कोई चुनौती नहीं दी है। मांगीलाल अ.सा.-6 ने अभियोक्त्री की आयु मौखिक रूप से 03 वर्ष की होना बताया है। अ.सा.-1 के अनुसार अभियोक्त्री का जन्म मनावर के सरकारी अस्पताल में हुआ था तथा उसे उसकी लडकी की जन्म की तारीख याद नहीं है। परन्तु इस साक्षी ने उसकी पुत्री को आंगनबाड़ी में पढ़ना जाना बताया है। डॉ. कीर्ति बौरासी अ.सा. 18 जिन्होंने अभियोक्त्री का शव परीक्षण किया था उन्होंने भी अभियोक्त्री की आयु 04 वर्ष होना व्यक्त किया है जिसे बचाव पक्ष द्वारा प्रतिपरीक्षण में कोई चुनौती नहीं दी गई। आयु का अवधारण किये जाते समय विधिक दृष्टि में आयु को एक तथ्य माना जाता है तथा यदि आयु अवधारित करनी हो तो उसे साक्ष्य अधिनियम के प्रावधानान्तर्गत भी प्रमाणित किया जा सकता है।

17- प्रकरण में अभियोक्त्री की आयु के संबंध में दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र मनावर का प्रसव कार्ड का रजिस्टर वर्ष 2013 का प्रस्तुत किया गया है। डॉ0 गोविन्दसिंह चौहान अ.सा.-17 के अनुसार उक्त रजिस्टर के पृष्ठ क्र. 51 पर प्रविष्टि क्र. 1353/3395/6098 पर दिनांक 28.10.2013 को महिला रंजू पत्नी मुन्ना को प्रसव हेतु भर्ती कराये जाने का उल्लेख है तथा उक्त दिनांक को ही प्रसव होने पर उस महिला ने एक फीमेल बेबी को जन्म दिया था और दिनांक 30.10.2013 को उसकी अस्पताल से छुट्टी कर दी गई थी। इस साक्षी ने अस्पताल में की गई प्रविष्टि प्रदर्श पी. 23 के ए से ए भाग पर स्वयं के हस्ताक्षर प्रमाणित किये हैं। इस साक्षी के अनुसार ही सामु. स्वा. केन्द्र मनावर के प्राथमिक स्वा. केन्द्र के प्रसव कक्ष में संधारित रजिस्टर में अभियोक्त्री की माता द्वारा द्वितीय संतान के जन्म के बारे में उल्लेख है उसके आधार जन्म प्रमाण पत्र जारी किया गया है। उक्त जन्म प्रमाण पत्र लोक

कर्तव्य के निर्वहन में किये गये इन्द्राज के आधार पर जारी किया गया है तथा उक्त आधार दस्तावेज संधारित रजिस्टर की प्रमाणित प्रतिलिपि प्र.पी.-23 सी भी अभिलेख पर प्रस्तुत की है। डॉ० गोविन्दसिंह चौहान अ.सा. 17 ने प्रविष्टि इन्द्राज प्रदर्श पी. 24 तथा जन्म प्रमाण पत्र प्रदर्श पी. 25 पर स्वयं के हस्ताक्षर प्रमाणित किये हैं।

- 18- बचाव पक्ष द्वारा अभियोक्त्री की आयु के संबंध में अभिलेख पर आयु मौखिक साक्ष्य को कोई चुनौती नहीं दी है। डॉ० गोविन्दसिंह चौहान अ.सा. 17 के प्रतिपरीक्षण में बचाव द्वारा इस तथ्य को स्थापित किये जाने का प्रयास किया गया है कि जिस बच्ची के संबंध में जन्म प्रमाण पत्र प्रदर्श पी. 25 का जारी किया गया है, वह अभियोक्त्री का ही जन्म प्रमाण पत्र है, यह स्पष्ट नहीं है किन्तु बचाव पक्ष का उक्त तर्क अस्पष्ट है। सम्पूर्ण अभियोजन साक्ष्य से अभियोक्त्री जो कि 04 वर्षीय दर्शित है अभियोक्त्री के पिता-माता तथा अन्य परिजन द्वारा अभियोक्त्री की आयु के संबंध में दी गई साक्ष्य को बचाव पक्ष द्वारा कोई चुनौती नहीं दी गई है। बचाव पक्ष द्वारा डॉ० गोविन्दसिंह चौहान अ.सा. 17 को दिया गया यह सुझाव कि “अभियोक्त्री का नाम अभियोक्त्री के रूप में ही रखा गया था, यह तथ्य स्पष्ट नहीं है किन्तु मात्र उक्त सुझाव से यह प्रमाणित नहीं होता कि अभियोक्त्री की आयु 12 वर्ष से अधिक है। प्रकरण में अ.सा. 1 की सबसे बड़ी संतान की आयु 05 वर्ष है, जिसे बचाव पक्ष द्वारा कोई चुनौती नहीं दी गई है। प्र.पी. 23 सी में अभियोक्त्री की माता ने जिस संतान को जन्म दिया वह द्वितीय संतान थी तथा अ.सा. 1 का छोटा पुत्र जीवित है इससे भी प्रमाणित होता है कि दिनांक 28.10.2013 को अभियोक्त्री का ही जन्म हुआ था। अतः ऐसी स्थिति में जन्म के पश्चात् ही जन्म प्रमाण पत्र नाम सहित जारी कर दिया जाना कोई विधिक-अनिवार्यता नहीं है। बचाव पक्ष का ऐसा भी कोई तर्क नहीं है कि अभियोक्त्री की माता ने उक्त प्रसव दिनांक को अभियोक्त्री के अतिरिक्त किसी अन्य कन्या को जन्म दिया।

- 19- न्यायदृष्टांत सतपाल विरूद्ध स्टेट आफ हरियाणा, (2010) 8 एस. सी. सी. 714 में यह प्रतिपादित किया गया है कि अभियोक्त्री की उम्र के निर्धारण में स्कूल के रजिस्टर में जन्म दिनांक की प्रविष्टि साक्ष्य में ग्राह्य होती है क्योंकि यह प्रविष्टि पदीय कर्तव्यों के निर्वहन के दौरान की जाती है। जो धारा 35 भारतीय साक्ष्य अधिनियम के तहत ग्राह्य होती है। लेकिन यह प्रविष्टि किसकी सूचना पर की गयी और सूचना का स्रोत क्या था। ये तथ्य सूचना के अधिकृत होने के बारे में महत्वपूर्ण होते हैं। प्रश्नगत प्रकरण में डॉ. गोविन्दसिंह चौहान अ.सा. 17 ने असपतपल के रजिस्टर में अभियोक्त्री की माता के प्रसव तथा पुत्री के जन्म के इन्द्राज के

आधार को प्रमाणित किया है तथा संबंधित लोक दस्तावेज की प्रमाणित प्रतिलिपि जिसकी प्रविष्टि पदीय कर्तव्यों के निर्वहन में की गई है, को अभिलेख पर प्रस्तुत किया है। उक्त प्रविष्टि सूचना के आधार पर नहीं की जाकर वास्तविक रूप से जन्म के संबंध में की गई है। प्रश्नगत प्रकरण में प्रस्तुत जन्म प्रमाण पत्र प्र.पी. 25 को बचाव पक्ष द्वारा कोई चुनौती नहीं दी गई है। इस सन्दर्भ में न्यायदृष्टांत उमेशचन्द्र विरूद्ध स्टेट आफ बिहार, ए. आई. आर. 1982 एस. सी. 1057 में यह प्रतिपादित किया गया है कि माता और पिता की साक्ष्य तथा जन्म प्रमाण पत्र उम्र के निर्धारण में श्रेष्ठ साक्ष्य होती है। न्याय दृष्टांत सिद्धेश्वर गांगूली विरूद्ध स्टेट आफ वेस्ट बंगाल ए. आई. आर. 1958 एस. सी. 143 के अनुसार जन्म प्रमाण पत्र निश्चायक साक्ष्य होता है।

- 20- प्रश्नगत प्रकरण में अभियोक्त्री की आयु के संबंध में साक्षीगण की मौखिक साक्ष्य जिसमें अभियोक्त्री की आयु 04 वर्ष होना व्यक्त की गई है। उपरोक्त तथ्यों को बचाव पक्ष द्वारा कोई चुनौती नहीं दी गई है। यद्यपि मांगीलाल अ0सा0-6 ने अभियोक्त्री की आयु 03 वर्ष होना बताई है। किन्तु उक्त विरोधाभास से अभियोक्त्री की आयु के संबंध में कोई अस्पष्ट स्थिति निर्मित नहीं होती है। दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में अभियोक्त्री का जन्म प्रमाण पत्र अभिलेख पर है जिससे अभियोक्त्री की जन्म दिनांक 28-10-2013 को होना प्रमाणित है। अभियोजन घटना, दिनांक 15-12-2017 को घटित हुई है। अभियोक्त्री का जन्म दिनांक 28-10-2013 को होना प्रमाणित है अतः घटना दिनांक 15-12-2017 को अभियोक्त्री की आयु 04 वर्ष 02 माह 15 दिन की थी। अतः ऐसी स्थिति में तथाकथित घटना दिनांक को अभियोक्त्री की आयु 12 वर्ष से कम होना प्रमाणित है।

विचारणीय बिन्दु कं. 2 पर निष्कर्ष :-

- 21- अ.सा.-1 की अभिसाक्ष्य के अनुसार दिनांक 15.12.2017 को शाम को 5:30 बजे जब वह मजदूरी से वापस लौटा तब उसने देखा था कि अभियोक्त्री/पीड़िता घर के सामने थैली में सेंव परमल खा रही थी। फिर वह गुटका लेने बाजार गया तथा वापस आकर उसके मामा के घर के सामने खड़ा था तो उसकी माता कक्कूबाई ने बताया कि अभियोक्त्री/पीड़िता नहीं मिल रही है। इस साक्षी ने यह भी व्यक्त किया कि उसने उसके भाई ओम अ.सा.-8, अजय (अपरीक्षित साक्षी), मुकेश अ.सा.-5, रन्जूबाई (अपरीक्षित साक्षी) व कक्कूबाई (अपरीक्षित साक्षी) ने गांव में तथा आसपास सुबह तक तलाश किया, किन्तु अभियोक्त्री/पीड़िता नहीं मिली फिर सुबह उसके मामा के लड़के मांगीलाल ने मोबाईल पर अभियोक्त्री की लाश मान नदी के किनारे पड़ी

होने की सूचना दी।

- 22- अ.सा.-1 के अनुसार उसने मान नदी के किनारे जाकर देखा तो अभियोक्त्री का सिर कुचला हुआ था, बदन पर कपड़े भी नहीं थे, जींस भी नहीं थी तथा जांघ व गुप्तांग पर लाल-लाल चोट के निशान थे, अभियोक्त्री के हाथ में कलाई में शर्ट अटका हुआ था, पास में एक बड़ा खून लगा पत्थर पड़ा हुआ था। इस साक्षी ने तत्पश्चात् घटना की सूचना पुलिस को दी जिस पर से देहाती नालिसी प्र.पी. 1 दर्ज की तथा मौके पर ही मार्ग इंटीमेशन प्र.पी.2 लेखबद्ध कर नक्षा पंचायतनामा प्र.पी. 3 बनाया व घटनास्थल नक्षा मौका प्र.पी. 5 का बनाया था। उपरोक्त दस्तावेजों पर इस साक्षी ने स्वयं की अंगूठा निशानी होना व्यक्त किया है।
- 23- संजय रावत अ.सा. 21 ने मुख्य परीक्षण में यह व्यक्त किया है कि दिनांक 16.12.2017 को उन्होंने आरक्षी केन्द्र मनावर में निरीक्षक/थाना प्रभारी के पद पर पदस्थ होते हुए अ.सा. 1 के बताये अनुसार देहाती नालिसी क्र. 0/17, धारा 363, 376 (2) (आई), 302 भा.दं. वि. एवं धारा 3/4, 5 (एम)/6 पाक्सो एक्ट के अधीन प्रदर्श पी. 1 की अज्ञात व्यक्ति के विरुद्ध स्वयं की हस्तलिपि में लेखबद्ध की थी जिसके अ से अ भाग पर इस साक्षी ने स्वयं के हस्ताक्षर प्रमाणित किये हैं। इस साक्षी के अनुसार मार्ग इंटीमेशन क्र. 0/17, धारा 174 दं.प्र.सं. के अंतर्गत प्र.पी. 2 लेखबद्ध किया था तथा नक्षा पंचायतनामा लाश प्र.पी. 3 बनाकर शव को परीक्षण हेतु भेजा था। इस साक्षी के अनुसार उसने दिनांक 16.12.17 को ही घटनास्थल का मुआयना कर नक्षा मौका प्र.पी. 5 का बनाया था।
- 24- अभियोक्त्री/पीड़िता के दिनांक 15.12.17 को शाम से गुम होने तथा उसे तलाश किये जाने के पश्चात उसकी लाश दिनांक 16.12.17 को सुबह मान नदी के किनारे मिलने के संबंध में साक्षीगण ने जो तथ्य व्यक्त किये हैं जिन्हें बचाव पक्ष द्वारा प्रतिपरीक्षण में कोई चुनौती नहीं दी गई है। इस प्रकार यह तथ्य प्रमाणित है कि अभियोक्त्री/पीड़िता दिनांक 15.12.17 को जीवित अवस्था में थी तथा उसके माता-पिता की संरक्षकता में थी, जिसकी दिनांक 16.12.17 को सुबह क्षत-विक्षप्त अवस्था में लाश मान नदी के किनारे मिली थी। अतः यह तथ्य प्रमाणित है कि अभियोक्त्री/पीड़िता का व्यपहरण हुआ था।
- 25- अभियोजन का यह पक्ष है कि अभियोक्त्री/पीड़िता को "अंतिम बार" अभियुक्त के साथ देखा गया था तथा प्रकरण में अन्य परिस्थितियां भी अभियुक्त के विपरीत है जिससे अभियोजन का मानना यह है कि अभियुक्त ने ही पीड़िता/अभियोक्त्री का व्यपहरण किया था। प्रकरण में अभियोजन द्वारा उनके पक्ष समर्थन में प्रत्यक्ष साक्ष्य तथा अंतिम बार साथ देखे जाने,

अभियुक्त की निशादेही से जप्ती कार्यवाही, अभियुक्त के कपड़ों पर अभियोक्त्री का रक्त लगा होना तथा पीड़िता के हाथ में अभियुक्त के बाल होना तथा अन्य परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर निर्भरता व्यक्त की है।

26- अ.सा.-1 की अभिसाक्ष्य के अनुसार वह दिनांक 15-12-17 को मजदूरी कर शाम करीब साढ़े पांच बजे पहुंचा था तथा बच्चों को खाने का सामान देकर गुटका लेने बाजार आ गया था। इस साक्षी के अनुसार उस समय तक उसकी पुत्री अभियोक्त्री/पीड़िता घर के सामने थैली में सेव-परमल खा रही थी किन्तु जब वह वापस गया तो कुछ देर बाद उसकी माता कक्कूबाई ने उसे बताया कि अभियोक्त्री/पीड़िता नहीं मिली रही है जिसकी तलाश ओम, अजय, मुकेश, रन्जूबाई तथा कक्कूबाई ने गांव में आसपास की, किन्तु अभियोक्त्री/पीड़िता सुबह तक तलाश करने के बाद भी नहीं मिली। इस साक्षी ने यह व्यक्त किया है कि अगले दिन सुबह उसे उसके मामा के लड़के मांगीलाल का फोन आया था जिसने बताया कि अभियोक्त्री/पीड़िता मान नदी के किनारे मरी पड़ी है। जहां जाकर उसे देखा था तो उसका सिर कुचला हुआ था, बदन पर कपड़े नहीं थे। अभियोक्त्री/पीड़िता की जांघों व गुप्तांग पर लाल-लाल चोट के निशान थे। अभियोक्त्री/पीड़िता के हाथ में कलाई में शर्ट अटका हुआ था तथा पास में बड़ा सा पत्थर खून लगा था, पड़ा था। उक्त घटना के पश्चात् साक्षी द्वारा देहाती नालिसी प्र.पी. 1 दर्ज कराना व्यक्त करते हुए पुलिस द्वारा लेखबद्ध की गई मर्ग इन्टीमेशन प्र.पी. 2, नक्शा पंचायतनामा प्र.पी. 3, शव सुपुर्दगीनामा प्र.पी. 3, घटनास्थल प्र.पी. 5 की कार्यवाही किये जाने का समर्थन करते हुए उक्त दस्तावेजों पर स्वयं की अंगूठा निशानी होना व्यक्त किया है।

27- अ.सा.-1 के अनुसार उसे दुर्गा और काजल ने दूसरे दिन बताया था कि अभियुक्त, अभियोक्त्री/पीड़िता को खेल रहा था तथा उसे कुएं की तरफ नदी किनारे ले गया था। अ.सा.-1 के अनुसार अभियुक्त द्वारा अभियोक्त्री/पीड़िता को साथ में नदी तरफ ले जाने का तथ्य उसे दुर्गा और काजल ने दूसरे दिन बताया था। दुर्गा अ.सा.-2 ने मुख्य परीक्षण में यह व्यक्त किया है कि घटना दिनांक 15 दिसम्बर 2017 की होकर उसके मामाजी के घर पुत्र जन्म-उपलक्ष्य में रखे जाने वाले कार्यक्रम "जलवाय" था, जिसमें गांव के लोग व अन्य रिश्तेदार शामिल हुए थे तथा उक्त कार्यक्रम चार-साढ़े चार बजे खत्म हो गया था। इस साक्षी ने यह व्यक्त किया है कि बाजार से वह बच्चों के लिए सेव-परमल लाई थी जो उसने अभियोक्त्री/पीड़िता को प्लास्टिक की थैली में दिये थे। जब अभियोक्त्री/पीड़िता आंगन में सेव-परमल खाते हुए खेल रही थी तभी अभियुक्त उसे परमल खिला रहा था और उसका हाथ

पकड़कर इधर-उधर घुमा रहा था। इस साक्षी ने यह तथ्य भी स्पष्ट किया है कि अभियुक्त उनके मोहल्ले में पड़ोस में ही रहता था इसलिए अक्सर मोहल्ले में आता-जाता था, खाना खाता और बच्चों के साथ खेलता भी था। अभियुक्त द्वारा अभियोक्त्री/पीड़िता को नदी तरफ ले जाये जाने के संबंध में इस साक्षी ने यह व्यक्त किया है कि शाम करीब 6:00 बजे अभियुक्त, पीड़िता की उंगली पकड़कर कुएं तरफ ले जा रहा था, फिर 7:00 बजे तक अभियोक्त्री/पीड़िता नहीं दिखी जिसे तलाश किया गया किन्तु अगले दिन सुबह मान नदी के किनारे अभियोक्त्री की लाश नग्न अवस्था में मिली थी, जींस भी नहीं थी, जांघ और गुप्तांग पर लाल-लाल चोट के निशान थे, उसके हाथ में कलाई में शर्ट अटका हुआ था। इस साक्षी ने यह तथ्य पुनः स्पष्ट किया है कि उसने अभियुक्त को ही खेलते समय अभियोक्त्री/पीड़िता को ले जाते देखा था।

28- काजल अ.सा. 3 ने भी इसी प्रकार के तथ्य व्यक्त किया है तथा विशिष्ट रूप से यह व्यक्त किया है कि उसने देखा था कि अभियुक्त अभियोक्त्री को परमल खिला रहा था और रोज की तरह हाथ पकड़कर इधर-उधर घूमा रहा था और उसकी उंगली पकड़कर कुएं तरफ ले गया था। इस साक्षी ने इस तथ्य को व्यक्त किया है कि उस समय अभियोक्त्री की बड़ी बहन संतोषी भी वहीं थी तथा उसने भी देखा था कि अभियुक्त उसकी छोटी बहन को ले जा रहा था। बाल साक्षी के रूप में परीक्षित संतोषी आयु 05 वर्ष अ0सा0-4 ने प्रश्नोत्तर स्वरूप के परीक्षण में यह व्यक्त किया है कि जब वह तथा अभियोक्त्री घर के बाहर खेल रहे थे तब अभियुक्त उसे लेकर गया था।

29- अभियोक्त्री/पीड़िता के घटना दिनांक को नहीं मिलने पर दर्ज कराई गई देहाती नालिसी प्र.पी. 1 के संबंध में बचाव पक्ष द्वारा कोई आक्षेप व्यक्त नहीं किया गया है। देहाती नालिसी प्र.पी. 1 अभिलेख पर है जिसके संबंध में बसंत रावत अ.सा. 14 ने यह व्यक्त किया है कि वह दिनांक 16.12.17 को आरक्षी केन्द्र मनावर में आरक्षक क्रमांक 125 के पद पर पदस्थ था। उक्त दिनांक को थाना प्रभारी संजय रावत के साथ वह घटनास्थल पर गया था, तब संजय रावत अ.सा. 21 को सूचनाकर्ता अ.सा. 1 द्वारा उसकी पुत्री की घटना के संबंध में सूचना दी थी जिसे लेखबद्ध किया गया था। संजय रावत अ.सा. 21 ने यह व्यक्त किया है कि दिनांक 16.12.17 को आरक्षी केन्द्र मनावर में थाना प्रभारी के पद पर पदस्थ था तथा उक्त दिनांक को अ.सा. 1 द्वारा दी गई सूचना के आधार पर उन्होंने देहाती नालिसी क्र. 02/17 अंतर्गत धारा 363, 376 (2) (आई), 302 भा.दं.वि. एवं धारा 3/4, 5 (एम)/6 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम स्वयं की हस्तलेख में लेखबद्ध की थी, जो प्रदर्श पी. 1 की होकर उसके ए से

ए भाग पर स्वयं के हस्ताक्षर प्रमाणित किये हैं।

- 30- उक्त देहाती नालिसी में अज्ञात व्यक्ति के विरुद्ध घटना में मौके पर देखी गई परिस्थितियों का उल्लेख है। अ.सा. 1 ने उसके मुख्य परीक्षण में ही अभियुक्त द्वारा अभियोक्त्री/पीडिता को नदी तरफ ले जाये जाने का तथ्य दुर्गा अ.सा. 0-2 और काजल अ.सा. -3 द्वारा बताया जाना व्यक्त किया है। इस साक्षी ने अंतिम बार अभियोक्त्री/पीडिता को जीवित अवस्था में घर के बाहर खेलते हुए देखना व्यक्त किया है। प्रतिपरीक्षण की कंडिका-9 में यह व्यक्त किया है कि उसने स्वयं अभियुक्त को पीडिता को परमल खिलाते नहीं देखा था। बचाव पक्ष द्वारा प्रतिपरीक्षण में इस साक्षी के द्वारा पीडिता को शाम के समय घर के बाहर सेव-परमल खाते देखने के तथ्य को कोई चुनौती नहीं दी गई है।
- 31- दुर्गा अ.सा. 2 तथा काजल अ.सा. 3 ने उनके मुख्य परीक्षण में अभियुक्त के पीडिता के साथ अंतिम बार जीवित अवस्था में देखा था तथा अभियुक्त उसे कुए की तरफ लेकर गया था। बचाव पक्ष द्वारा इस साक्षी के प्रतिपरीक्षण में बच्चों को आंगन में खेलते देखना, सेव परमल खाते देखना व अभियुक्त की उपस्थिति के समय के संबंध में सुझाव दिये गये हैं, जो अस्पष्ट है तथा सम्पूर्ण प्रतिपरीक्षण में यह साक्षी इस बात पर स्थिर रही है कि अभियुक्त ने अभियोक्त्री को पास बुलाकर परमल खिलाये थे तथा उंगली पकडकर खिला रहा था। इसी प्रकार काजल अ.सा. 3 के प्रतिपरीक्षण में भी बचाव पक्ष ऐसा कोई तथ्य स्थापित नहीं कर पाया है जिससे यह स्पष्ट हो सके कि अभियुक्त को काजल अ.सा. 3 ने नहीं देखा था। दुर्गा अ.सा. 2 एवं काजल अ.सा. 3 के प्रतिपरीक्षण में बचाव पक्ष द्वारा इस तथ्य को स्थापित किये जाने का प्रयास किया गया है कि यदि उक्त साक्षीगण ने शाम के समय ही अभियुक्त को अभियोक्त्री/पीडिता को नदी तरफ ले जाते हुए देखा था तथा रात्रि में ही जब उसे ढुंढा जा रहा था तो उसी समय तक साक्षियों ने यह क्यों नहीं बताया कि अभियुक्त, पीडिता को नदी तरफ ले गया है।
- 32- उक्त तर्क के संबंध में यह स्थिति स्पष्ट है कि जब अभियोक्त्री/पीडिता को लोगों द्वारा तलाश किये जाने लगा तब सभी लोग अलग-अलग दिशाओं में उसे तलाश करने लगे। उक्त साक्षीगण द्वारा तत्काल अभियुक्त द्वारा पीडिता को ले जाये जाने वाली बात नहीं बताया जाना साक्षीगण का सामान्य व्यवहार है तथा उक्त परिस्थितियों में साक्षीगण से ऐसा व्यवहार की अपेक्षा नहीं की जा सकती है।
- 33- बाल-साक्षी संतोषी अ.सा.-4 ने भी उसके मुख्य परीक्षण में अभियुक्त द्वारा पीडिता

को नदी तरफ ले जाने का तथ्य व्यक्त किया है। प्रतिपरीक्षण में यह बाल साक्षी भी इस तथ्य पर स्थिर रही है कि अभियुक्त को ही अंतिम बार उसने पीड़िता के साथ देखा था तथा अभियुक्त पीड़िता को कुएं तरफ ले गया था। इस साक्षी के संबंध में बचाव पक्ष द्वारा यह व्यक्त किया गया है कि उक्त बाल साक्षी सिखी-सिखाई बातों को न्यायालय में व्यक्त कर रही है। यद्यपि यह तथ्य सही है कि यह साक्षी “बाल-साक्षी” के रूप में परीक्षित की गई है, किन्तु बचाव पक्ष प्रतिपरीक्षण में ऐसा कोई तथ्य स्थापित नहीं कर पाया है जिससे इस साक्षी को सिखाई जाने के तथ्य की पुष्टि होती हो। स्वयं बचाव पक्ष द्वारा प्रतिपरीक्षण में इस तथ्य को स्पष्ट कराया गया है कि घर में दादा और मां कह रहे थे कि अभियुक्त, अभियोक्त्री/पीड़िता को ले गया इसलिए वह ऐसा बोल रही है। मुकेश अ.सा.5, मांगीलाल अ.सा. 6, लोकेश अ.सा.7 तथा ओम अ.सा. 8 ने उनके मुख्य परीक्षण में स्वतः यह व्यक्त किया है कि दिनांक 15.12.17 को वह जलवाय पूजन कार्यक्रम में थे, उसमें अभियुक्त भी शामिल था तथा अभियुक्त अभियोक्त्री को हाथ पकड़कर घुमा रहा था। इस प्रकार अभियुक्त को अभियोक्त्री के साथ “अंतिम बार” देखे जाने के तथ्य की पुष्टि होती है। मुकेश अ.सा. 5 ने उसके प्रतिपरीक्षण में इस तथ्य को सही होना स्वीकार किया है कि जब अभियुक्त अभियोक्त्री को सेव परमल खिला रहा था तथा हाथ पकड़कर इधर-उधर घुमा रहा था उस समय वह मौके पर नहीं था, किन्तु प्रतिपरीक्षण की कंडिका 3 में ही स्वयं बचाव पक्ष द्वारा यह सुझाव इस साक्षी को दिया गया है कि जब अभियोक्त्री की लाश मिली तब सुबह दुर्गा ने यह बताया था कि अभियोक्त्री, अभियुक्त के साथ खेल रही थी। मांगीलाल अ.सा.6 के प्रतिपरीक्षण में अभियुक्त को पीड़िता के साथ देखने तथा अभियुक्त द्वारा उसे खिलाने के तथ्य को बचाव पक्ष खंडित नहीं कर पाया है।

34- लोकेश अ.सा. 7 के अतिरिक्त दुर्गा अ.सा. 2, काजल अ.सा. 3, संतोषी अ.सा. 4, मुकेश अ.सा. 5, मांगीलाल अ.सा. 6, ओम अ.सा. 8 के कथनों से यह तथ्य प्रमाणित है कि अभियुक्त को अंतिम बार अभियोक्त्री के साथ देखा गया था। अभियुक्त को अभियोक्त्री के साथ अंतिम बार शाम के समय देखा गया था तथा उसके पश्चात् अगले दिन सुबह अभियोक्त्री की लाश मान नदी के किनारे मिली थी। उक्त समयावधि अल्प समयावधि है। अंतिम बार साथ देखे जाने का सिद्धांत लागू किये जाने के लिए उक्त समय अन्तराल भी महत्वपूर्ण होता है जिससे अभियुक्त के अतिरिक्त किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अपराध कारित किया जाना असम्भव हो जाता है। साक्ष्य अधिनियम की धारा 106 में स्पष्ट है कि जब कोई कार्य किसी व्यक्ति की जानकारी में है तब उस तथ्य को साबित करने का भार उसी व्यक्ति पर है। अभियुक्त, अभियोक्त्री/पीड़िता के साथ अंतिम बार देखा गया था उसे अवश्य ही स्पष्टीकरण देना चाहिए था कि वह कब और

कैसे उससे अलग हुआ किन्तु अभियुक्त द्वारा इस सम्बन्ध में कोई स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं किया है। अतः उक्त परिस्थिति भी अभियुक्त के विरुद्ध परिस्थितिजन्य साक्ष्य की एक कड़ी के रूप में प्रमाणित हुई है।

35- प्रकरण में घटना के संबंध में लेखबद्ध की गई देहाती नालिसी प्र.पी. 1 अज्ञात व्यक्ति के विरुद्ध लेखबद्ध की गई है। अतः ऐसी स्थिति में अभियोजन का मामला “परिस्थितिजन्य साक्ष्य” पर निर्भर है। परिस्थितिजन्य साक्ष्य के संबंध में न्यायदृष्टांत शरद विरधीचन्द शरदा विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य ए. आई. आर. 1984 एस. सी.-1662 के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय ने यह विधिक स्थिति प्रस्थापित किया है कि परिस्थितियों को अभियुक्त के विरुद्ध पूरी तरह स्थापित होने के पूर्व निम्न शर्तें पूर्ण होनी चाहिए अर्थात् –

- (1) परिस्थितियां जिनसे दोषिता को निष्कर्षित किया गया है पूरी तरह से स्थापित हो। अर्थात् सम्बन्धित परिस्थितियां अवश्य ही स्थापित होनी चाहिए (must or should) और न कि केवल सम्भावना मात्र कि ("may be") ।
- (2) स्थापित परिस्थितियां केवल अभियुक्त की दोषिता को ही प्रकल्पित करते हों।
- (3) परिस्थितियां प्रकृति और प्रवृत्ति में निर्णायक हो।
- (4) वे अन्य किसी प्रकल्पना को अपवर्जित करते हों।
- (5) साक्ष्यों की कड़ी ऐसे पूर्ण होनी चाहिए कि अभियुक्त के निर्दोशिता के संगत निष्कर्ष की कोई भी युक्तियुक्त आधार न छोड़ता हो और दर्शित करता हो कि सभी मानवीय सम्भावनाओं के कृत्य अभियुक्त के द्वारा ही किया गया है।

36- अनुसंधानकर्ता अधिकारी संजय रावत अ.सा. 21 ने मुख्य परीक्षण में यह व्यक्त किया है कि उन्होंने दिनांक 16.12.17 को साक्षीगण के कथन लेखबद्ध करने के पश्चात् उक्त दिनांक को ही रात्रि 9:00 बजे अभियुक्त को साक्षी मांगीलाल अ.सा.-6, मुकेश अ.सा.-5 की उपस्थिति में गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पंचनामा प्र.पी. 6 का बनाया था। अभियुक्त की गिरफ्तारी के संबंध में मुकेश अ.सा.-5 एवं मांगीलाल अ.सा.-6 ने उक्त कार्यवाही का समर्थन किया है। अनुसंधानकर्ता अधिकारी संजय रावत अ.सा.-21 के अनुसार उन्होंने साक्षीगण के समक्ष अभियुक्त से पूछताछ की थी, जिसमें अभियुक्त ने अभियोक्त्री/पीड़िता की जींस पेंट, स्वयं की एक जोड़

चप्पल, परमल की थैली, पत्थर और स्वयं के कपड़ों के संबंध में जानकारी दी थी, जिसके आधार पर अभियुक्त का प्रकटन कथन प्र.पी. -7 का लेखबद्ध किया था। अभियुक्त द्वारा दी गई जानकारी का समर्थन मुकेश अ.सा.-5 तथा मांगीलाल अ.सा.-6 ने भी उनके न्यायालयीन कथनों में किया है। अभियुक्त द्वारा दिनांक 17-12-17 को उक्त साक्षीगण की उपस्थिति में ही एक पुराने मटमैले काले कलर की जींस, जिसके बांये पैर के घुटने पर खून के दाग लगे हुए थे और स्लेटी कलर की पुरानी शर्ट दो अस्तिनों की बॉह पर खून लगा हुआ था, जिन्हें जप्त कर जप्ती पंचनामा प्र.पी. 9 का बनाया गया था।

37- अनुसंधानकर्ता अधिकारी संजय रावत अ.सा.-21 की अभिसाक्ष्य अनुसार दिनांक 17-12-17 को अभियुक्त द्वारा बताये जाने पर घटनास्थल तस्दीक पंचनामा प्र.पी. -8 का तैयार किया था तथा उक्त दिनांक को ही मान नदी के उत्तरी किनारे पर स्थित खाई में आंवले के पेड़ के नीचे से अभियुक्त द्वारा बताये जाने पर अभियोक्त्री की आसमानी कलर की कॉटन की जींस, जिस पर खून लगा था और LUFAR लिखा हुआ था, अभियुक्त की एक जोड़ प्लास्टिक की चप्पल, जिसमें दोनों चप्पलों के तलवों पर खून लगा हुआ था, एक पत्थर जिस पर खून लगा हुआ था वजनी लगभग 10 किलो प्लास्टिक की हरी पन्नी में, 10 ग्राम सेव-परमल को जप्त कर जप्ती पंचनामा प्र.पी. 10 का बनाया था। अनुसंधानकर्ता अधिकारी ने उक्त संदर्भित गिरफ्तारी पंचनामा प्र.पी.-6, प्रकटन कथन प्र.पी.-7, घटनास्थल तस्दीक पंचनामा प्र.पी.-8, जप्ती पंचनामा प्र.पी.-9, तथा 10 पर स्वयं के हस्ताक्षर प्रमाणित किये हैं। उक्त कार्यवाही के साक्षी मुकेश अ.सा. 0-5 व मांगीलाल अ.सा.-6 ने भी उनके मुख्य परीक्षण में उपरोक्त कार्यवाही उनके समक्ष किया जाना व्यक्त करते हुए संदर्भित दस्तावेजों पर स्वयं के हस्ताक्षर प्रमाणित किये हैं।

38- अभियुक्त द्वारा दिया गया प्रकटन कथन प्र.पी.-7 के संदर्भ में सर्वप्रथम विधिक स्थिति पर विचार किया जाना है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 के अनुसार “जब किसी तथ्य के बारे में यह अभिसाक्ष्य पाई जाती है कि किसी अपराध के अभियुक्त व्यक्ति से, जो पुलिस ऑफिसर की अभिरक्षा में है प्राप्त जानकारी के परिणामस्वरूप उस तथ्य का पता चला है तब ऐसी जानकारी में से, अन्य जिससे वह संस्वीकृति की कोटि में आती है या नहीं, जितनी भाग पता चले वह तथ्य से स्पष्टतः संबंधित है, साबित की जा सके।”

39- प्रकटन कथन प्र.पी.7 अभिलेख पर है जिसमें अभियुक्त ने अपराध किये जाने का स्थान, अभियोक्त्री की पेंट तथा जिस पत्थर से अभियोक्त्री की हत्या हुई थी वह पत्थर तथा स्वयं के घर पर छिपा कर रखे कपड़ों के संबंध में जानकारी दी थी। बचाव पक्ष द्वारा प्रकटन कथन

प्र.पी.-7 के संदर्भ में तथा उक्त जानकारी तथा जप्ती-स्थल को प्रतिपरीक्षण के माध्यम से चुनौती दी है। बचाव पक्ष का यह तर्क है कि जिस स्थान से अभियोक्त्री की जींस, अभियुक्त की चप्पल, खून लगा पत्थर तथा सेंव-परमल जप्ती पत्रक प्र.पी.-10 के अनुसार जप्त करना बताया गया है वह एक खुला-स्थान है जहां सामान्य व्यक्ति की पहुंच होकर आसानी से दिखाई देने वाला स्थान है। अतः यह नहीं माना जा सकता कि उपरोक्त तथ्यों का पता अभियुक्त की जानकारी के आधार पर ही चला था। जप्ती पत्रक प्र.पी.-10 के अनुसार जप्ती-स्थल मान नदी का उत्तरी किनारे पर स्थित खाई में आवले के पेड़ के नीचे से उपरोक्त वस्तुओं को जप्त करना बताया गया है।

40- भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 के अनुसार अभियुक्त द्वारा अभिरक्षा में दी गई जानकारी के परिणामस्वरूप किसी सुसंगत तथ्य का पता लगना चाहिए। मेहबूब अली एवं अन्य विरुद्ध स्टेट आफ राजस्थान 2015 ए. आई. आर. एस. सी. डब्ल्यू. 6123 में यह अभिनिर्धारित किया गया है कि सुसंगत तथ्य में मानसिक दशा भी शामिल है। जप्ती खुले स्थान से किये जाने के संबंध में तथा घटनास्थल बताये जाने के संबंध में न्यायदृष्टांत स्टेट ऑफ महाराष्ट्र विरुद्ध सुरेश (2000) 1 एस. सी. सी. 471 के निर्णय चरण-26 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया है कि जब अभियुक्त वह स्थान, जहां मृत शरीर या अपराध से संबंधित वस्तुएं छिपाये हुए रखना बताता है तब निम्न 3 सम्भावनाएँ बनती है प्रथम :-अभियुक्त स्वयं ने अपराध से जुड़ी हुई वस्तुएँ उस स्थान पर छिपाई है, द्वितीय :-अभियुक्त ने किसी को वह वस्तुएँ छिपाते हुए देखा है, एवं तृतीय :- अभियुक्त को किसी व्यक्ति ने यह बताया कि वे वस्तुएँ छिपाकर रखी है। जब अभियुक्त न्यायालय के समक्ष द्वितीय और तृतीय परिस्थिति के खुलने के बारे में मौन रहता है तब न्यायालय यह उपधारित कर सकता है कि वह वस्तुएँ उसने वहां छिपाई है क्योंकि अभियुक्त ही वह व्यक्ति है, जो इस संबंध में स्पष्टकरण दे सकता है कि उन वस्तुओं को वहां छिपाकर रखने का तथ्य उसके ज्ञान में कैसे आया।

41- प्रकरण में जप्ती पंचनामा प्र.पी. 10 के जप्ती-स्थल के संबंध में पिकी मेहरड़े अ.सा. 20 ने उनके मुख्य परीक्षण की कंडिका-4 में इस प्रकार स्पष्ट किया है कि घटनास्थल, जहां पर मृत्तिका का शव पाया गया था, वहां से करीब 300 मीटर की दूरी पर एक गुफानूमा सुनसान स्थान पर एक जोड़ नीले-सफेद बेल्ट वाली चप्पल, चप्पलों पर मिट्टी लगी होकर तलों पर खून के धब्बे, पत्थर, जींस पेंट तथा पत्थर वजनी लगभग 10 किलो का एवं हरे रंग की पोलिथीन में

सेव-परमल पाये गये थे। तत्पश्चात् उन्होंने दिनांक 17-12-17 को घटनास्थल का नक्शा मौका प्र.पी. 28 तथा सीन आफ् काईम्स के संबंध में घटनास्थल निरीक्षण प्रतिवेदन प्र.पी. 29 पर स्वयं के हस्ताक्षर प्रमाणित किये हैं।

42- उपरोक्त साक्षी पिकी मेहरड़े अ.सा. 20 ने उनके मुख्य परीक्षण में घटनास्थल पर पत्थर के पास उन्हें जमीन पर गीलापन एवं पेशाब जैसी गंध आना व्यक्त किया है जिसे प्रतिपरीक्षण में इस रूप में चुनौती दी गई है कि उक्त पेशाब की गंध कितने घंटे पूर्व की थी। साक्षी ने इस तथ्य को स्पष्ट करने में असमर्थता जाहिर की है किन्तु स्वतः व्यक्त किया है कि गीलापन एक दिन पुराना हो सकती है। उपरोक्त परिस्थितियों में सम्पूर्ण घटनाक्रम अपराध से जुड़ी होने के संबंध में एक पुष्टिकारक परिस्थिति है जिसे घटना कारित करने वाले व्यक्ति की लैंगिक हमले में आक्रामकता दर्शित होती है। अभियुक्त द्वारा स्वयं के प्रकटन कथन प्र.पी. 7 में अभियोक्त्री के साथ बलात्कार करने के पश्चात् उसकी हत्या करना व्यक्त किया गया है। घटनास्थल से प्रकट हुई यह परिस्थिति भी एक कड़ी के रूप में विचार योग्य है।

43. बचाव पक्ष का इस संबंध में यह तर्क है कि उपरोक्त प्र.पी. 10 में वर्णित स्थल तथा जप्त की गई वस्तुएं अभियुक्त की गिरफ्तारी के पूर्व ही ज्ञान में आ गई थी। अतः अभियुक्त के द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर उक्त तथ्यों का पता लगाना प्रमाणित नहीं माना जा सकता है।

44- “खुले स्थान से बरामदगी” के संबंध में स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश विरुद्ध जीतसिंह (1999) 4 एस. सी. सी. 370 में यह प्रतिपादित किया गया है कि “धारा 27 भारतीय साक्ष्य अधिनियम में ऐसा प्रावधान नहीं है कि जब वस्तुओं की बरामदगी किसी खुले स्थान या अन्य लोगों के पहुंच के स्थान से होती है तब अभियुक्त द्वारा दी गई सूचना अग्राह्य हो जाती है।” प्रकरण में जप्ती स्थल यद्यपि खुला स्थान है, किन्तु खाईनुमा स्थान है जिसमें उपरोक्त वस्तुओं का रखा होना अभियुक्त द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर ही घटनास्थल से जप्ती पत्रक प्र.पी. 10 के अनुसार जप्ती कार्यवाही किये जाने के तथ्य प्रमाणित है।

45- अभियोजन के अनुसार दिनांक 17-12-17 को अभियुक्त से स्वयं के द्वारा घर में निकालकर पेश करने पर एक पुरानी काले कलर की जींस पैंट व पुराना शर्ट जप्त किया गया था जिस पर खून लगा हुआ था। इसी तारतम्य में यह स्थिति भी एक अन्य परिस्थिति के रूप में विचार में लिया जाना आवश्यक है। अभियोक्त्री/पीड़िता के बांये हाथ की मुट्ठी में बाल का एक गुच्छा पाया गया था, इस तथ्य को डॉ. कीर्ति बौरासी अ.सा.-18, पिकी मेहरड़े अ.सा.-20 ने

उनके मुख्य परीक्षण में व्यक्त किया है। “बाल के गुच्छे” के संबंध में डॉ. अनिल कुमार सिंह, वैज्ञानिक अधिकारी, एफ.एस.एल. सागर अ.सा.-22 ने उनके मुख्य परीक्षण में यह व्यक्त किया है कि मृत्तिका अभियोक्त्री के बांये हाथ में पाये गये बाल के गुच्छे (प्रदर्श -एच) से प्राप्त पुरुष DNA प्रोफाईल अभियुक्त करण उर्फ फतिया के स्रोत (प्रदर्श-ए) की है। इस सम्बन्ध में उनके द्वारा दी गई रिपोर्ट प्र.पी.-40 है जिसके ए से ए भाग पर उनके हस्ताक्षर हैं।

46- डॉ० अनिल कुमार सिंह अ०सा०-22 ने उनके मुख्य परीक्षण में यह व्यक्त किया है कि वह वैज्ञानिक अधिकारी के पद पर स्टेट फॉरेन्सिक साइन्स लेबोरेटरी सागर में पदस्थ है तथा उक्त पद पर पदस्थ होते हुए उन्होंने पुलिस अधीक्षक धार के पत्र क्रमांक पु.अ./सी.क्र.मो.यु./धार/20-डी.एन.ए./17, दिनांक 28.12.17 थाना मनावर जिला धार के अपराध क्रमांक 750/17, धारा 363, 376 (2)(आई), 302 भा.दं.सं. एवं धारा 3/4, 5(एल)/6 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम से संबंधित 10 पैकेट “ए” से “जे” आरक्षक क्र. 625 शंकर आरक्षी केन्द्र मनावर जिला धार के द्वारा दिनांक 29.12.17 को प्राप्त हुए थे। उपरोक्त प्रदर्श कपड़ा कागज के आवरण एवं E.D.T.A. वायल में मेडिकल ऑफिसर व पुलिस थाना की सील से सीलबंद थे। सील आविकल (इन्टेक्ट) मिली थी। उसके द्वारा प्रस्तुत की गई डी.एन.ए. परीक्षण की रिपोर्ट प्र.पी. 40 में पृष्ठ क्र. 1 एवं 2 में प्रकरण में प्राप्त प्रदर्शों का विवरण दिया गया है। जांच के पश्चात पाया था कि मृत्तिका अभियोक्त्री की जींस पेंट के स्रोत प्रदर्श एफ. (बी/एम 1189) से प्राप्त पुरुष Y क्रोमोसोम एस.टी.आर. DNA प्रोफाईल के प्रत्येक जेनेटिक मार्कर पर पाये गये एलील एवं अभियुक्त करण उर्फ फतिया के स्रोत रक्त नमूना प्रदर्श ए (बी/एम 1184) से प्राप्त Y क्रोमोसोम एस.टी.आर. DNA प्रोफाईल के प्रत्येक जेनेटिक मार्क पर पाये गये एलील एक समान हैं। उसके द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के पृष्ठ क्र.3 पर तालिका 2 में प्रकरण के विभिन्न प्रदर्शों से प्राप्त ऑटोसोमल एस.टी.आर. DNA प्रोफाईल का विवरण दिया गया है। उपरोक्त तालिका के अनुसार अभियुक्त करण उर्फ फतिया के पेश करने पर जप्त पेंट प्रदर्श बी (बी/एम 1185) शर्ट प्रदर्श सी (बी/एम 1186), घटनास्थल से जप्त पत्थर प्रदर्श ई (बी/एम 1188) से प्राप्त महिला ऑटोसोमल एस.टी.आर. DNA प्रोफाईल के प्रत्येक जेनेटिक मार्कर पर पाये गये एलील जोड़े एवं मृत्तिका अभियोक्त्री के स्रोत वेजाईनल स्वाब एंड स्लाईड प्रदर्श आई (बी/एम 1192) एवं एनल स्वाब एंड स्लाईड प्रदर्श जे (बी/एम 1193) से प्राप्त ऑटोसोमल एस.टी.आर. DNA प्रोफाईल के प्रत्येक जेनेटिक मार्कर पर पाये गये एलील जोड़े एकसमान हैं। उनके द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के पृष्ठ क्र.4 पर तालिका 3 में प्रकरण के विभिन्न प्रदर्शों से प्राप्त

ऑटोसोमल एस.टी.आर.डी.एन.ए.प्रोफाईल का विवरण दिया गया। उपरोक्त तालिका के अनुसार मृतिका अभियोक्त्री के बांये हाथ में पाये गये बालों का गुच्छा प्रदर्श एच (बी/एम 1191) के स्त्रोत से प्राप्त पुरुष ऑटोसोमल एस.टी.आर.डी.एन.ए.प्रोफाईल के प्रत्येक जेनेटिक मार्कर पर पाये गये एलील जोड़े एवं अभियुक्त करण उर्फ फतिया के स्त्रोत रक्त नमूना प्रदर्श ए (बी/एम 1184) से प्राप्त ऑटोसोमल एस.टी.आर.डी.एन.ए.प्रोफाईल के प्रत्येक जेनेटिक मार्कर पर पाये गये एलील जोड़े एकसमान है। इस साक्षी ने यह अभिमत दिया है कि मृतिका अभियोक्त्री के बांये हाथ में पाये गये बालों का गुच्छा (प्रदर्श एच) से प्राप्त पुरुष डी.एन.एन. प्रोफाईल अभियुक्त करण उर्फ फतिया के स्त्रोत (प्रदर्श ए) की है।

47- बचाव पक्ष द्वारा डी.एन.ए. प्रोफाईल के संबंध में यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि प्रयोगशाला में अत्यधिक कार्य रहता है इस कारण निश्चित परिणाम सामने नहीं आये हैं तथा किस तारीख को परीक्षण प्रारंभ किया गया और कितने समय में परीक्षण पूर्ण किया गया, इसके बारे में उल्लेख नहीं है। परन्तु उपरोक्त सुझाव को इस विशेषज्ञ साक्षी ने इस रूप में अस्वीकार किया है कि समस्त आर्टिकल्स उनके सुपरविजन में परीक्षित किये गये थे तथा विलम्ब के आधार पर परिणाम प्रभावित होने की कोई संभावना नहीं थी। बचाव पक्ष द्वारा जुड़वा बच्चों के डी.एन.ए. प्रोफाईल तथा माता-पिता के डी0एन0ए0 परीक्षण के उपरांत ही पहचान स्थापित किये जाने के तथ्य के सुझाव दिये गये हैं, किन्तु बचाव पक्ष का सम्पूर्ण प्रतिपरीक्षण के दौरान यह तर्क नहीं रहा है कि अभियोक्त्री के पिता की कोई जुड़वा संतान थी तथा अभियुक्त का डी. एन. ए. सेम्पल प्राप्त नहीं किया गया था।

48- गंभीर आपराधिक मामलों में अन्वेषण के संबंध में स्टेट आफ गुजरात विरुद्ध किशनभाई (2014) 5 एस. सी. सी. 108 के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा नवीन वैज्ञानिक तरीकों से अन्वेषण किये जाने की आवश्यकता को स्पष्ट किया है तथा इस सम्बन्ध में विस्तृत दिशानिर्देश भी जारी किये हैं। गंभीर मामलों में परिस्थितिजन्य साक्ष्य महत्वपूर्ण होती है तथा प्रकरण को प्रमाणित किये जाने हेतु वैज्ञानिक तरीके से सम्पूर्ण साक्ष्य एकत्रित की जाना भी आवश्यक है।

49- न्यायदृष्टांत मुकेश और एक अन्य बनाम राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और अन्य (2017) 6 एस. सी. सी. 1 के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा अभिनिर्धारित किया गया है कि डी.एन.ए. परीक्षण के आधार पर अभियुक्त की उपस्थिति की वैधता को भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 45 के अंतर्गत वैध माना जा सकता है। प्रश्नगत प्रकरण में अभियुक्त

को अभियोक्त्री/पीडिता के साथ अंतिम बार देखा गया। अभियुक्त की निशादेही से अभियोक्त्री का जींस, परमल की थैली, चप्पल, खून लगा पत्थर जप्त किये गये हैं। अभियोक्त्री/पीडिता के बांये हाथ में अभियुक्त के बाल पाये गये। अभियुक्त के द्वारा पेश किये जाने पर जप्त किये गये उसकी पेंट प्रदर्श-बी बी.एम. 1185 व शर्ट पर प्रदर्श सी बी.एम. 1186 पर अभियोक्त्री का रक्त पाया गया जिसका कोई भी युक्तियुक्त स्पष्टीकरण अभियुक्त द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया है। अतः ऐसी स्थिति में अभियुक्त द्वारा ही अभियोक्त्री /पीडिता का व्यपहरण कारित किया जाना भी प्रमाणित है।

विचारणीय प्रश्न क. 3 पर निष्कर्ष :-

- 50- प्रकरण में यह विचारणीय प्रश्न है कि—“क्या अभियुक्त ने अभियोक्त्री की इच्छा व सम्मति के बिना सम्भोग कर बलात्संग कारित किया ?”
- 51- अभियोक्त्री की लाश को प्रथम दृष्ट्या देखकर साक्षीगण द्वारा अभियोक्त्री के साथ बलात्कार होने के तथ्य को व्यक्त किया गया है। इस संबंध में अ.सा.-1 ने उसके मुख्य परीक्षण में यह व्यक्त किया है कि अभियोक्त्री के बदन पर कपड़े नहीं थे, जींस भी नहीं थी। इस साक्षी ने इशारा करके बताया है कि जांघ व गुप्तांग पर लाल-लाल चोट के निशान थे तथा अभियोक्त्री के हाथ में कलाई में उसका शर्ट अटका हुआ था। इस साक्षी ने स्वयं का यह अभिमत व्यक्त किया है कि अभियुक्त ने अभियोक्त्री के साथ बलात्कार किया था। बचाव पक्ष द्वारा इस साक्षी को प्रतिपरीक्षण बलात्कार किये जाने के स्वयं के अभिमत को कोई चुनौती नहीं दी गई है।
- 52- दुर्गा अ.सा.2 ने मुख्य परीक्षण में यह व्यक्त किया है कि घटना के दूसरे दिन सुबह मान नदी के किनारे अभियोक्त्री की लाश नग्न अवस्था में मिली थी, उसके हाथ में शर्ट अटका था। इस साक्षी ने भी स्वयं का यह मत व्यक्त किया है कि अभियुक्त ने अभियोक्त्री के साथ गलत काम किया है। प्रतिपरीक्षण की कंडिका 6 में बचाव पक्ष द्वारा इस साक्षी से यह पूछे जाने पर कि उसने अभियुक्त को आंखों से बलात्कार करते नहीं देखा था जिसे इस साक्षी ने सही होना स्वीकार किया है। किन्तु स्वतः व्यक्त किया है कि अभियोक्त्री की लाश पर कपड़े नहीं थे, उसको चोटे लगी हुई थी इसीलिए वह कह रही है कि अभियोक्त्री के साथ अभियुक्त ने बलात्कार किया था। प्रश्नगत प्रकरण में अभियुक्त को किसी भी साक्षी ने अभियोक्त्री का बलात्कार करते प्रत्यक्ष रूप से नहीं देखा है। वैसे भी इस प्रकार के अपराध सामान्यतः अवसर देखकर सुनसान स्थान पर कारित किये जाते हैं ऐसे अपराधों में प्रत्यक्ष साक्ष्य का अभाव होता

है। अतः ऐसी स्थिति में बचाव पक्ष द्वारा साक्षी की विश्वसनीयता को इस रूप में खंडित किये जाने का प्रयास कि, उसने स्वयं की आंखों से बलात्कार होते नहीं देखा, विधिक दृष्टि में मान्य नहीं है वैसे भी इस साक्षी का यह कहना नहीं है कि उसने बलात्कार होते देखा था।

53- काजल असा. 3 ने भी मुख्य परीक्षण में यह व्यक्त किया है कि अभियोक्त्री के बदन पर कपड़े नहीं थे, नग्न थी और उसके सीधे हाथ में शर्ट अटका था। इस साक्षी ने भी अभियुक्त द्वारा अभियोक्त्री के साथ बलात्कार किये जाने का तथ्य व्यक्त किया है। बचाव पक्ष द्वारा बलात्कार के संबंध में स्वयं के अभिमत को कोई चुनौती नहीं दी है।

54- मुकेश अ.सा. 5 ने मुख्य परीक्षण में अभियोक्त्री की लाश की प्रत्यक्ष स्थिति को देखकर यह व्यक्त किया है कि अभियोक्त्री का मृत शरीर नग्न था तथा स्वयं का मत यह व्यक्त किया है कि अभियुक्त ने पीडिता के साथ खोटा काम किया था। इसी प्रकार मांगीलाल अ.सा. 6 ने मुख्य परीक्षण में यह व्यक्त किया है कि अभियोक्त्री के सीधे हाथ में शर्ट अटका था, पूरा शरीर खुला था और घटनास्थल पर अभियोक्त्री की पेंट नहीं थी। लोकेश अ.सा.-7 एवं ओम अ. सा.-8 ने मुख्य परीक्षण में यह व्यक्त किया है कि घटनास्थल पर लाश को देखे जाने के समय अभियोक्त्री की लाश पूर्ण नग्न थी, सीधे हाथ में शर्ट अटका था। उक्त साक्षीगण ने भी उनके अभिमत में अभियुक्त द्वारा अभियोक्त्री का बलात्कार किया जाना व्यक्त किया है।

55- घटनास्थल की विडियोग्राफी और फोटोग्राफी के संबंध में सोहनलाल अ.सा.-9 ने व्यक्त किया है कि घटनास्थल पर निजी केमरे से सी.डी. और फोटोग्राफ्स तैयार किये थे। इस साक्षी ने घटनास्थल पर लिये गये फोटोग्राफ्स को आर्टिकल ए-1 लगायत आर्टिकल ए-9 तथा सी डी को आर्टिकल ए-10 लगायत ए-14 के रूप में तथा उक्त कार्यवाही के संबंध में धारा 65-बी भारतीय साक्ष्य अधिनियम का प्रमाण पत्र प्र.पी. 13 पर स्वयं के हस्ताक्षर को प्रमाणित किया है। इस साक्षी को बचाव पक्ष द्वारा यह स्पष्ट कराया गया है कि विडियोग्राफी में एच.डी. कार्ड के माध्यम से सी.डी. बनाई जाती है तथा सी डी कम्प्यूटर पर तैयार की जाती है। बचाव पक्ष द्वारा दिये गये इस सुझाव को कि कम्प्यूटर पर किसी के चेहरे पर दूसरे का चेहरा एड किया जा सकता है तथा आवाज को बदला जा सकता है, किन्तु उक्त सुझाव को इस साक्षी ने अस्वीकार किया है।

56- दण्ड विधि (संशोधन) अधिनियम 2013 (क्रमांक 13) 2013 की धारा 9 द्वारा धारा 375 भा.दं.सं. को नई धारा द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है जिसमें “बलात्संग” को विस्तृत रूप से व्यक्त किया गया है जो निम्नानुसार है :-

- (क) किसी स्त्री की योनि, उसके मुंह, मूत्रमार्ग या गुदा में अपना लिंग किसी भी सीमा तक प्रवेश करता है या उससे ऐसा अपने या किसी अन्य व्यक्ति के साथ कराता है, या
- (ख) किसी स्त्री की योनि, मूत्रमार्ग या गुदा में ऐसी कोई वस्तु या शरीर का कोई भाग, जो लिंग न हो, किसी भी सीमा तक अनुप्रविष्ट करता है या उससे ऐसा अपने या किसी अन्य व्यक्ति के साथ कराता है, या
- (ग) किसी स्त्री के शरीर के किसी भाग का इस प्रकार हस्तसाधन करता है जिससे कि उस स्त्री की योनि, गुदा, मूत्रमार्ग या शरीर के किसी भाग में प्रवेशन कारित किया जा सके या उससे ऐसा अपने या किसी अन्य व्यक्ति के साथ कराता है, या
- (घ) किसी स्त्री की योनि, गुदा, मूत्रमार्ग पर अपना मुंह लगाता है या उससे ऐसा अपने या किसी अन्य व्यक्ति के साथ कराता है,

तो उसके बारे में यह कहा जायेगा कि उसने बलात्संग किया है। प्रश्नगत प्रकरण में साक्षीगण द्वारा अभियोक्त्री की लाश, उसके गुप्तांगों पर आई चोट को देखकर यह व्यक्त किया है कि अभियोक्त्री के साथ बलात्कार हुआ है। धारा 375 भारतीय दण्ड संहिता के अनुसार ऐसी परिस्थिति में बलात्कार किये जाने की मौखिक साक्ष्य भी मान्य की जा सकती है। अतः यह प्रमाणित है कि अभियोक्त्री के साथ बलात्कार हुआ था।

57- दण्ड विधि (संशोधन) अधिनियम 2013 (क्रमांक 13) 2013 की धारा 9 द्वारा धारा 375 भा.दं.सं. को नई धारा द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है जिसमें “बलात्संग” को विस्तृत रूप से व्यक्त किया गया है तथा प्रवेशन को बलात्संग के लिए प्रमाणित करना आवश्यक नहीं है। धारा 375 भा.दं.सं. में परिभाषित “क” लगायत “घ” में उल्लेखित परिस्थितियों में भी “बलात्संग” कारित किया जा सकता है। अतः उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में अभियुक्त का संभोग करने में सक्षम होने बाबत प्रस्तुत किया गया चिकित्सकीय प्रतिवेदन प्र.पी. 21 महत्वहीन है।

58- घटनास्थल पर अभियोक्त्री की लाश को देखे जाने के संबंध में तथा घटनास्थल की एफ.एस.एल. जांच के संबंध में पिंकी मेहरड़े अ.सा. 20 ने यह व्यक्त किया है कि प्रश्नगत प्रकरण की आरक्षी केन्द्र मनावर से सूचना प्राप्त होने पर वे दिनांक 16.12.17 को एवं 17.12.17 को घटनास्थल मान नदी के उत्तरी किनारे पर गई थी। इस साक्षी ने यह भी व्यक्त किया है कि उन्होंने घटनास्थल पर अभियोक्त्री का शव नग्न अवस्था में जमीन पर चित्त पड़े हुए देखा था। अभियोक्त्री के शरीर पर जगह-जगह धूल मिट्टी, सुखा हुआ रक्त, सुखी हुई घास चिपकी होकर रगड़ के निशान पाये गये। मृत्तिका की छाती में दांयी व बांयी तरफ रकड़ जैसी चोट के निशान थे। मृत्तिका के दोनों हाथ कोहनी से मुड़े होकर उपर की ओर सिर के पास थे। दोनों हाथ की मुट्ठियां बंद होकर आसमानी लाल प्रिन्टेड रक्त जैसे धब्बेयुक्त धूल मिट्टी व सुखी

घास, शर्ट की बाह उलझी होकर शर्ट से सिर ढका था। दोनों पैर सीधे होकर पैरों पर जगह-जगह सुखे हुए रक्त व सुखी हुई घास व धूल-मिट्टी, जिनमें रगड़ चोट पाई गई थी। अभियोक्त्री/पीडिता के गुप्तांग व जांघों पर धूल-मिट्टी व सुखी घास लगी होकर रगड़ जैसी चोट लालपन तथा सुखा हुआ रक्त पाया गया था। मृत्तिका के बांये हाथ की मुट्ठी में बालों का गुच्छा था। मृत्तिका की पीठ पर, पुट्टों पर जगह-जगह धूल-मिट्टी, सुखी घास व रक्त की छींटे पाये गये थे। मल द्वार से मल व रक्त निकला होकर आसपास लालपन पाया गया था। इस साक्षी ने मौके पर पाई गई स्थिति का नक्शा प्र.पी. 27 स्वयं की हस्तलिपि में तैयार करना व्यक्त करते हुए उस पर स्वयं के हस्ताक्षर प्रमाणित किये हैं।

59- इस साक्षी ने यह भी व्यक्त किया है कि घटनास्थल जहां पर मृत्तिका का शव पाया गया था, वहां से करीब 300 मीटर दूरी पर उत्तर में एक गुफानूमा सुनसान स्थान पर एक जोड़ी चप्पल, जिनमें कच्ची धूल मिट्टी तथा रक्त के धब्बे आदि देखे थे। घटनास्थल के पास उक्त स्थान पर रक्त जैसे धब्बेयुक्त छोटा पत्थर करीब 500 ग्राम का पाया गया था तथा जीन पर रक्त के धब्बे पाये गये थे। इस साक्षी ने यह भी व्यक्त किया है कि पत्थर के पास जमीन पर गीलापन पाया गया था जिसमें से पेशाब जैसी गंध आ रही थी। इस साक्षी ने इस संबंध में दिनांक 17.12.17 को देखी गई स्थिति का नक्शा प्र.पी. 28 स्वयं की हस्तलिपि में होना व्यक्त किया है और उस पर स्वयं के हस्ताक्षर प्रमाणित किये हैं। इस साक्षी ने दिनांक 16.12.17 एवं 17.12.17 को देखे गये सीन ऑफ़ काईम के संबंध में घटनास्थल का निरीक्षण प्रतिवेदन प्र.पी. 29 तैयार करना बताते हुए उस पर स्वयं के हस्ताक्षर प्रमाणित किये हैं।

60- बचाव पक्ष द्वारा यह आपत्ति व्यक्त की गई है कि इस साक्षी ने दिनांक 16.12.17 एवं 17.12.17 को मौके पर की गई कार्यवाही के संबंध में एक ही प्रतिवेदन तैयार किया है। इस संबंध में बचाव पक्ष का यह तर्क रहा है कि जहां अभियोक्त्री की लाश प्राप्त हुई थी तथा जहां अभियोजन द्वारा बलात्कार का घटनास्थल बताया गया है, उसकी दूरी मात्र 300 मीटर है। ऐसी स्थिति में दिनांक 16.12.17 को ही लाश प्राप्ति के स्थल एवं तथाकथित घटनास्थल का निरीक्षण कर लिया गया था किन्तु अभियुक्त की निशादेही से घटनास्थल का तस्दीक किया जाना एवं उसके बताये अनुसार जप्ती किया जाना काल्पनिक है।

61- बचाव पक्ष द्वारा स्वयं इस साक्षी की मुख्य परीक्षण कंडिका 6 में यह सुझाव दिया गया है कि दिनांक 16.12.17 को इस साक्षी ने घटनास्थल से 100-200 फीट की दूरी पर आसपास घूमकर नहीं देखा था। अतः ऐसी स्थिति में जबकि स्वयं बचाव पक्ष यह मानता है कि

साक्षी ने घटनास्थल के 100-200 फीट की दूरी पर घूमकर नहीं देखा तो निश्चित रूप से द्वितीय घटनास्थल निरीक्षण हेतु उसे दूसरे दिन जाना पड़ा। बचाव पक्ष की इसी सन्दर्भ में यह आपत्ति है कि दोनों स्थान पास-पास है तथा अभियोक्त्री की जहां लाश पाई गई थी वहां से तथाकथित बलात्कार स्थल आसानी से देखा जा सकता है। इस साक्षी ने प्रतिपरीक्षण की कंडिका 7 में इस तथ्य को स्पष्ट किया है कि दिनांक 17.12.17 को वह घटनास्थल से करीब 300 मीटर की दूरी तक निरीक्षण करने गई थी। पूर्व निरीक्षण स्थल से दूसरे वाला स्पॉट आसानी से दिखता नहीं था और वहां तक आमजन की पहुंच भी नहीं थी। इस साक्षी ने द्वितीय घटनास्थल, जहां बलात्कार किया जाना अभिकथित है, उसे पेड़ व झाड़ियों के जाल से घिरा हुआ स्थान होना बताया है जिसमें पेड़ और झाड़ियों का जाल एकदूसरे से गूथे हुए होना व्यक्त किया है। बचाव पक्ष का यह तर्क भी मानने योग्य नहीं है कि उक्त घटनास्थल जहां लाश प्राप्त हुई थी, वहां से अत्यधिक पास था, अतः दिख ही जाना चाहिए था। इस साक्षी के कथनों में घटनास्थल को झाड़ियों से घिरा स्थान होना बताया है। यद्यपि घटनास्थल आमजन की पहुंच में था, किन्तु प्रत्येक व्यक्ति द्वारा दिखता हो, ऐसा संभव नहीं है। बचाव पक्ष द्वारा तथाकथित घटनास्थल को आम लोगों की पहुंचवाला स्थान होना व्यक्त किया है किन्तु घटना घटित होने तथा उक्त स्थान की जानकारी में आने के मध्य उक्त स्थान पर आवागमन या आम व्यक्तियों की पहुंच थी, इस तथ्य को बचाव पक्ष स्थापित नहीं कर पाया है।

62- अतः यह तथ्य प्रमाणित है कि घटनास्थल पर जिन तथ्यों को साक्षीगण ने देखा था उन्हीं तथ्यों को न्यायालय के समक्ष व्यक्त किया गया है। बलात्संग के तथ्यों को व्यक्त किये जाने हेतु अभियोक्त्र जीवित नहीं है धारा 375 भा.दं.सं. में उल्लेखित "क" लगायत "घ" तक की परिस्थितियों के संबंध में साक्षीगण ने जो तथ्य व्यक्त किये हैं वह अखण्डित रहे हैं। साक्षीगण ने अभियोक्त्री के गुप्तांगों की स्थिति एवं लाश की नग्न अवस्था को देखकर उक्त अभिमत दिये हैं।

63- प्रश्नगत प्रकरण में विवेचना के दौरान अनुसंधानकर्ता संजय रावत अ.सा. 21 ने साक्षीगण के कथन लेखबद्ध करने के पश्चात् दिनांक 16.12.17 को अभियुक्त को प्र.पी. 6 के अनुसार गिरफ्तार करना व्यक्त करते हुए यह अभिसाक्ष्य दी है कि उक्त दिनांक को उन्होंने अभियुक्त को आवेदन पत्र प्र.पी. 21-ए के माध्यम से चिकित्सकीय परीक्षण हेतु सामु. स्वा. केन्द्र मनावर भेजा था। अभिरक्षा के दौरान ही अभियुक्त से पूछताछ की थी, जिसमें अभियुक्त ने अभियोक्त्री/पीड़िता की जींस पैंट, स्वयं की एक जोड़ चप्पल, परमल की थैली, पत्थर और स्वयं

के कपड़ों के संबंध में जानकारी दी थी, जिसके आधार पर अभियुक्त का प्रकटन कथन प्र.पी. -7 का लेखबद्ध किया था। अभियुक्त द्वारा दी गई जानकारी का समर्थन मुकेश अ.सा.-5 तथा मांगीलाल अ.सा.-6 ने भी उनके न्यायालयीन कथनों में किया है। अभियुक्त द्वारा दिनांक 17-12-17 को उक्त साक्षीगण की उपस्थिति में ही एक पुराने मटमैले काले कलर की जींस, जिसके बांये पैर के घुटने पर खून के दाग लगे हुए थे और स्लेटी कलर की पुरानी शर्ट दो अस्तिनों की बॉह पर खून लगा हुआ था, जिन्हें जप्त कर जप्ती पंचनामा प्र.पी. 9 का बनाया गया था। अनुसंधानकर्ता अधिकारी संजय रावत अ.सा.-21 की अभिसाक्ष्य अनुसार दिनांक 17-12-17 को अभियुक्त द्वारा बताये जाने पर घटनास्थल तस्दीक पंचनामा प्र.पी. -8 का तैयार किया था तथा उक्त दिनांक को ही मान नदी के उत्तरी किनारे पर स्थित खाई में आवले के पेड़ के नीचे से अभियुक्त द्वारा बताये जाने पर अभियोक्त्री की आसमानी कलर की कॉटन की जींस, जिस पर खून लगा था और LUFAR लिखा हुआ था, अभियुक्त की एक जोड़ प्लास्टिक की चप्पल, जिसमें दोनों चप्पलों के तलवों पर खून लगा हुआ था, एक पत्थर जिस पर खून लगा हुआ था वजनी लगभग 10 किलो प्लास्टिक की हरी पन्नी में, 10 ग्राम सेव-परमल को जप्त कर जप्ती पंचनामा प्र.पी. 10 का बनाया था। अनुसंधानकर्ता अधिकारी ने उक्त संदर्भित गिरफ्तारी पंचनामा प्र.पी.-6, प्रकटन कथन प्र.पी.-7, घटनास्थल तस्दीक पंचनामा प्र.पी.-8, जप्ती पंचनामा प्र.पी.-9, तथा 10 पर स्वयं के हस्ताक्षर प्रमाणित किये हैं। उक्त कार्यवाही के साक्षी मुकेश अ.सा.0-5 व मांगीलाल अ.सा.-6 ने भी उनके मुख्य परीक्षण में उपरोक्त कार्यवाही उनके समक्ष किया जाना व्यक्त करते हुए संदर्भित दस्तावेजों पर स्वयं के हस्ताक्षर प्रमाणित किये हैं।

64- इस साक्षी ने यह भी व्यक्त किया है कि दिनांक 28.12.17 को अभियुक्त को DNA Test हेतु ब्लड सेम्पल के लिए सामु. स्वा. केन्द्र मनावर भेजा था जहां डॉक्टर संजय मुवेल द्वारा अभियुक्त का ब्लड सेम्पल कलेक्ट किया था इस बाबत उॉ. मुवेल द्वारा तैयार किया गया पत्र प्र. पी. 22 है जिसके बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। दिनांक 28.12.17 को ही जप्तशुदा आर्टिकल को State Forensic Science Laboratory, Govt. of M.P. DNA Fingerprinting Unit Civil Lines, Sagar (MP) भेजे गये थे इस सम्बन्ध में उसके द्वारा तैयार किया गया फारवर्डिंग नोट प्र.पी. 32 है जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। प्रकरण में जप्तशुदा आर्टिकल को पुलिस अधीक्षक जिला धार के ज्ञापन प्र.पी. 33 के माध्यम से एफ.एस.एल. सागर आरक्षक शंकर क. 625 के माध्यम से भेजा गया था जिसकी जमा रसीद प्र.पी. 34 है। दिनांक 30.12.17 को सीलबंद प्लास्टिक की डिब्बी में अभियोक्त्री का लंग्स, प्लास्टिक डिब्बी

में घटनास्थल से जप्त की गई सादा मिटटी, पुलिस अधीक्षक धार के ज्ञापन प्र.पी. 35 और एक पत्थर जिस पर खून लगा हुआ था, घटनास्थल से सादा मिटटी, खून आलूदा मिटटी, अभियुक्त की स्लाईड एवं नाखून, प्लास्टिक की चप्पल ज्ञापन प्र.पी. 36 तथा एक सीलबंद प्लास्टिक की डिब्बी में मृत्तिका अभियोक्त्री का विसरा, पिसेस आफ लंग्स, लीवर, स्पिलिन, कीडिनी, दूसरे डिब्बे में स्टोमक पिसेस आफा स्माल इंटेन्सटाईन, नमक का घोल ज्ञापन प्र.पी. 37 के माध्यम से एफ.एल.एल. झूमरघाट राउ आरक्षक क्र. 945 के द्वारा भेजा गया था जिसकी जमा रसीद प्र.पी. 38 व 39 है। जांच हेतु भेजी गई वस्तुओं के संबंध में राज्य न्यायालयीक विज्ञान प्रयोगशाला, म. प्र. शासन, सिविल लाईन्स डी.एन.ए./फिंगर प्रिंट यूनिट से प्राप्त डी.एन.ए. रिपोर्ट प्र.पी.-40 है जो 5 पृष्ठों में है। इसी प्रकार क्षेत्रीय न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला झूमरघाट राउ से प्राप्त एफ.एस.एल.रिपोर्ट दिनांक 23.1.2018 की प्र.पी. 41 एवं एफ.एस.एल. रिपोर्ट दिनांक 22.1.2018 प्राप्त हुई हो जो प्र.पी. 42 है।

65- बचाव पक्ष अनुसंधानकर्ता अधिकारी संजय रावत अ.सा.-21 के प्रतिपरीक्षण के माध्यम से इन तथ्यों पर चुनौती दी गई है कि दिनांक 16.12.17 को ही उन्होंने अभियोक्त्री की जींस, परमल की थैली आदि जप्त कर ली थी तथा अभियुक्त की निशादेही से कोई भी वस्तु जप्त नहीं की गई थी। किन्तु उक्त सुझावों को इस साक्षी ने अस्वीकार किया है। घटनास्थल के पास लोगों के मकान होने, अभियुक्त की निशादेही से मुद्देमाल जप्ती कार्यवाही दर्शित किया जाना तथा अभियुक्त के विरुद्ध असत्य आधारों पर मामला तैयार किये जाने संबंधी समस्त सुझावों को इस साक्षी ने अस्वीकार किया है और सम्पूर्ण प्रतिपरीक्षण में यह साक्षी मुख्य परीक्षण में किये गये समस्त तथ्यों पर स्थिर रहा है।

66- डॉ. कीर्ति बौरासी अ.सा.-18 ने न्यायालय के समक्ष दिये कथनों में यह अभिसाक्ष्य दी है कि दिनांक 16.12.17 को सामु. स्वा. केन्द्र मनावर जिला धार (म.प्र.) में मेडिकल ऑफिसर के पद पर पदस्थ होते हुए अभियोक्त्री के शव को उनके पास लाये जाने पर काम्पलिकेटेड केस होने से मेडिकल कॉलेज इंदौर फारेन्सिक डिपार्टमेंट में डॉक्टर की पैनल के माध्यम से पोस्टमार्टम करना बताया है। इस साक्षी के अनुसार उक्त पैनल में डॉ.ए. के. रस्तोगी असिस्टेंट प्रोफेसर एम.जी.एम. मेडिकल कालेज इंदौर, डॉ. नंदीप कुशवाह आर.एम.ओ. फारेन्सिक डिपार्टमेंट प्रोफेसर एम.जी.एम. मेडिकल कालेज इंदौर, डॉ. मालती सोलंकी सी.एम.ओ., एम. व्हाय. एच. इंदौर, डॉ. भूतल राठौड़ एम. ओ. पी.एच.सी. सिंघाना और वह स्वयं थी। इस साक्षी ने मृतक के शव को सफेद चादर में लिपटा होना, अनसील होना तथा चादर हटाने पर शव नग्न अवस्था में

होना व्यक्त किया है तथा मृतक के सीधे हाथ में शर्ट फंसा होना, शर्ट के उपर मिट्टी व खून के धब्बे होना, शव पर मिट्टी व घास बहुत सारी जगह पर लगी होना। सिर, चेहरे, मुँह, नाक पर मिट्टी, खून ज्यादा मात्रा में लगा होना व्यक्त किया है। इस साक्षी के अनुसार मृत्तिका की आंखे अधखुली हुई, कार्निया हेजी, मुँह आधा खुला हुआ, और जबान मुँह के अंदर थी। उपर के व नीचे के हाथ पैर सीधे थे। हाईपोस्टेटीस बाडी के पीछे की तरफ प्रजेन्ट थी। राईगरमार्टिस पूरे शरीर पर प्रजेन्ट थी और उसके उल्टे हाथ की मुट्ठी में बालों का गुच्छा था। गुर्दे से फीकरमेटर बाहर आ रहा था।

67- इस साक्षी के अनुसार शव के बाह्य परीक्षण के संदर्भ में इस साक्षी ने यह व्यक्त किया है कि मृत्तिका का शरीर सामान्य कद काठी की फीमेल बच्चा। पसलियां व फुफुस हेल्दी थे। श्वास नली व कंठ में मिट्टी मिक्स म्यूक्वाइड फ्लूड था। दाहिना फेफड़ा पीला व स्वस्थ था, दबाने पर कम मात्रा में ट्रेकिया में मिट्टी आई थी। हृदय-दोनों केविटी में थोड़ी मात्रा में ब्लड उपस्थित था। ओरल केविटी एवं फेयरिंग्स में मिट्टी उपस्थित थी, पेल व स्वस्थ थ। पेट- 260 सी सी के करीब यलोईश कलर का डायजेस्टेड फुड मटेरियल मौजूद था। म्यूकोजा स्वस्थ थी। छोटी आंत डायजेस्ट फुड। बड़ी आंत फीकल मेटर एवं गैसेस मौजूद थी। प्लीहा पेल स्वस्थ था। मुत्राशय खाली। बाह्य व भीतर जननेन्द्रियां कंट्यूजन लेबिया मेजोरा पर 4 से 6 ओ क्लॉक पोजिशन पर और 7 से 9 ओ क्लॉक पोजिशन पर, कंट्यूजन एंटीरियर वैजाइनल वाल पर राईड साईड, कंट्यूजन रेड कलर के थे। इस साक्षी के अनुसार एनल ओपनिंग में वाईडली ओपन, रूबोसिटी लास्ट, इन्सफीकटर लेक्जड, मल- मल्टीपल, रेडीकल, लीनियर, हिल्ड स्कार मार्क ओल्ड एण्ड रिसेन्ट प्रजेन्ट।

68- डॉ. कीर्ति बौरासी अ.सा. 18 के अनुसार उन्होंने अभियोक्त्री की दो वैजाइनल स्वाब, दो वैजाइनल स्मेयर-हिस्टो पैथॉलाजिकल एक्जामिनिशन के लिए एवं अतिरिक्त वैजाइनल स्मेयर फोर डी.एन.ए. परीक्षण हेतु सुरक्षित की थी। इसी प्रकार एक एनल स्वाब और दो एनल स्मेयर स्लाईड-हिस्टो पैथालाजिकल एक्जामिनिशन एवं एक अतिरिक्त एम.एल. स्मेयर स्लाईड डी.एन. ए. परीक्षण हेतु सुरक्षित रखी थी। इस साक्षी ने अभियोक्त्री के साथ बलात्कार के संबंध में यह अभिमत व्यक्त किया है कि अभियोक्त्री के शरीर पर बलात्कार के ताजे और एनल एरिया में ओल्ड रिपीटेड सेक्सुअल असाल्ट के चिन्ह पाये गये थे। इस साक्षी ने विशेष रूप से यह भी व्यक्त किया है कि अभियोक्त्री के शव में जीवित अवस्था में श्वसन तंत्र में मिट्टी, कीचड प्रविष्ट होने के चिन्ह भी उन्होंने पाये थे। इस साक्षी ने शव परीक्षण रिपोर्ट प्र.पी. 6 पर स्वयं के तथा

पेनल के सदस्य डॉ. ए. के. रस्तोगी, डॉ. नंदीप कुशवाह, डॉ. मालती सोलंकी एवं डॉ. भूतल राठौड़ के हस्ताक्षर को प्रमाणित किया है। प्रतिपरीक्षण में बचाव पक्ष का यह तर्क रहा है कि मृतिका/अभियोक्त्री को आई चोटे दुर्घटना में आना संभव थी। बचाव पक्ष के इस सुझाव को इस विशेषज्ञ साक्षी ने अस्वीकार किया है तथा इस सम्बन्ध में यह स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया है कि मृतिका के शरीर पर सेक्सुअल असाल्ट के चिन्ह मिले थे और उसके श्वसन तंत्र में कीचड़ था इसलिए उक्त चोटे आना सम्भव नहीं थी। बचाव पक्ष द्वारा पीड़िता/अभियोक्त्री के बलात्कार तथा एनल एरिया में ओल्ड रिपीटेड सेक्सुअल असाल्ट के चिन्ह के संबंध में कोई प्रतिपरीक्षण नहीं किया गया है। अभियुक्त का उक्त बचाव कि मृतिका को आई चोटे दुर्घटना स्वरूप की थी। इसलिए मानने योग्य नहीं है कि नदी में वाहनों का कोई आवागमन नहीं था। अभियोक्त्री के गुप्तांगों में चोट थी तथा एनल एरिया खुला हुआ था।

69- अभियोजन द्वारा अभियोक्त्री के साथ बलात्कार किये जाने के तथ्य को प्रमाणित किये जाने के लिए वैज्ञानिक तकनीक से एकत्रित साक्ष्य पर भी निर्भरता व्यक्त की गई है, जिसके संबंध में संजय रावत अ.सा. 21 ने मुख्य परीक्षण में यह व्यक्त किया है कि उन्होंने दिनांक 28.12.17 को अभियुक्त को डी.एन.ए. टेसट सेम्पल हेतु सामु. स्वा. केन्द्र मनावर भेजा था तथा उनकी उपस्थिति में डॉ. संजय मुवेल ने अभियुक्त का ब्लड नमूना लिया था। इस बाबत डॉ. मुवेल द्वारा प्रदर्श पी. 22 का पत्र तैयार किया गया था जिस पर अनुसंधानकर्ता अधिकारी संजय रावत अ.सा.-21 ने स्वयं के हस्ताक्षर प्रमाणित किये हैं। अभियुक्त का रक्त नमूना लिये जाने के संबंध में डॉ. संजय मुवेल ने यह व्यक्त किया है कि उन्होंने दिनांक 28.12.17 को अभियुक्त का रक्त-संग्रहण आरक्षी केन्द्र मनावर द्वारा आवेदन प्रस्तुत करने के पश्चात् किया था तथा रक्त संग्रहण कर EDTA बॉटल में 2 एम.एल. रक्त संग्रहण कर थाना प्रभारी को सौंपा था। इस साक्षी ने आयडेंटिफिकेशन पत्र प्र.पी. 1 पर स्वयं के हस्ताक्षर प्रमाणित किये हैं।

70- अभियुक्त से प्राप्त ब्लड सेम्पल मौके से प्राप्त वस्तुओं तथा अभियोक्त्री/मृतिका की स्वाब स्लाईड आदि को वैज्ञानिक परीक्षण हेतु भेजे जाने के संबंध में नवलसिंह अ.सा. 11 ने व्यक्त किया है कि वह दिनांक 17-12-17 को थाना मनावर में आरक्षक क्रं. 848 के पद पर पदस्थ था। उसके द्वारा एक सीलबंद प्लास्टिक का डिब्बा एम.व्हाय.एच.इंदौर की चपड़ी सील लगी होकर, जिसके अंदर मृतिका अभियोक्त्री उम्र 4 वर्ष निवासी जगन्नाथपुरा का विसरा, पिसेस आफ लंग्स, लीवर, किडनी होना लेख है, जप्त किया था। एक सीलबंद प्लास्टिक का डिब्बा जिसमें एम.व्हाय.एच.इंदौर की जप्ती चिट लगी है, जिसके अंदर मृतिका अभियोक्त्री का विसरा,

स्टामक, जप्त चिट पर उल्लेखित जप्त कराया था। एक सीलबंद प्लास्टिक की डिब्बी जिसके अंदर मृत्तिका अभियोक्त्री के बांये हाथ में पाये गये बालो का गुच्छा, जिस पर एम.व्हाय.एच.इंदौर की सील लगी होकर जप्ती चिट पर उल्लेखित तथा एक सीलबंद प्लास्टिक की डिब्बी जिसके अंदर मृत्तिका अभियोक्त्री की लंग्स पाईरेटेड जिस पर जप्ती चिट पर उल्लेखित तथा एक सफेद कपड़े का सीलबंद पैकेट जिसके अंदर मृत्तिका अभियोक्त्री के कपड़े, जप्ती चिट पर उल्लेखित जप्त कराया था तथा एक सीलबंद कपड़े का पैकेट जिस पर एम.व्हाय.एच.की सील लगी होकर, जिसके अंदर मृत्तिका अभियोक्त्री का टीबिया बोन, एक सफेद कपड़े में सीलबंद पैकेट में मृत्तिका अभियोक्त्री का वेजाईनल स्वाब व तीन सीलबंद स्लाईड जप्ती चिट पर उल्लेखित, तथा एक सील बंद कपड़े का पैकेट जिसके अंदर मृत्तिका अभियोक्त्री का अनल स्वाब व सीमन स्लाईड तथा एक छोटी शीशी कांच की सीलबंद जिस पर जप्ती चिट अनुसार नमक का घोल नमुना, एम.व्हाय.एच.का सील नमुना, उक्त सामान थाने पर प्राप्त होने पर उसने उसे थाने के प्र.आरक्षक विमल कुमार त्रिपाठी को प्रस्तुत कर जप्ती पंचनामा प्र.पी.15 बनाया गया था, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। जिसे उसने पंच साक्षी अरुण व भूपेन्द्र के समक्ष जप्त कराया था। इस साक्षी ने यह भी व्यक्त किया है कि सैनिक मनोरंजन क्रं. 27 थाना मनावर द्वारा एक लाल पीले रंग का थरमस जिसके अंदर अभियुक्त करण उर्फ फतिया, उम्र 19 वर्ष निवासी जगन्नाथपुरा, जिसमें सीलबंद चपड़ी सील सी.एस.सी.मनावर की लगी, अस्पताल के डॉ. संजय मुवेल के हस्ताक्षरित, ई.डी.टी.ए.वायल, दो एम.एम. ब्लड सेम्पल, उक्त थरमस के अंदर ब्लड था तथा एक सील नमुना सी.एस.सी.मनावर का लाकर मेरे व भूपेन्द्रसिंह के समक्ष थाने के प्र.आरक्षक विमलकुमार त्रिपाठी को प्रस्तुत किया था, जिसका जप्ती पंचनामा प्र.पी.16 है, जिस पर पंच साक्षी के रूप में ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं।

71. बचाव पक्ष द्वारा उक्त साक्षीगण द्वारा मुख्य परीक्षण में व्यक्त तथ्यों के संदर्भ में समय, जप्तशुदा वस्तुओं के सीलबंद अवस्था आदि के संबंध में आक्षेपित किया है किन्तु बचाव पक्ष ऐसा कोई भी तथ्य स्थापित करने में सफल नहीं हुआ है कि तथाकथित जप्तशुदा अथवा प्राप्त किये गये सेम्पल के साथ कोई छेड़खानी की गई थी। अतः यह तथ्य प्रमाणित है कि जप्तशुदा आर्टीकल्स एवं अभियुक्त से प्राप्त नमूने विधिवत जांच हेतु भेजे गये थे।

72- डॉ. अनिल कुमार सिंह अ.सा.-22 ने उनके मुख्य परीक्षण की कंडिका 4 मकें यह व्यक्त किया है कि उन्होंने नमूने प्राप्त होने के पश्चात यह पाया था कि अभियोक्त्री की वेजाईनल स्वाब तथा स्लाईड एवं एनल स्वाब तथा स्लाईड जिन्हें परीक्षण के दौरान प्रदर्श आई

(बी/एम 1192) एवं प्रदर्श जे (बी/एम 1193) अंकित किया गया था उसमें पुरुष Y एस.टी.आर DNA प्रोफाईल प्राप्त नहीं हुई थी। इस साक्षी ने यह भी व्यक्त किया है कि अभियोक्त्री की जींस, पेंट के स्ट्रोत जिन्हें परीक्षण के दौरान प्रदर्श एफ. (बी/एम 1189) से पुरुष Y एस.टी.आर DNA प्रोफाईल प्राप्त हुई थी तथा अभियुक्त के रक्त नमूना, जिसे प्रदर्श एफ. (बी/एम 1184) से अंकित किया गया था, से प्राप्त पुरुष Y क्रोमोसोम एस.टी.आर DNA प्रोफाईल के प्रत्येक जेनेटिक मार्कर पर पाये एलील समान थे। अभियोक्त्री के कपड़ों पर लगा रक्त, जिसे परीक्षण के दौरान प्रदर्श जी (बी/एम 1190), वैजाइनल स्वाब तथा स्लाइड प्रदर्श आई (बी/एम 1192) एवं एनल स्वाब तथा स्लाइड प्रदर्श जे (बी/एम 1193) में एक समान महिला आटोसोमल एस. टी.आर.डी.एन.ए.प्रोफाईल प्राप्त हुई थी। अभियोक्त्री के हाथ में पाये गये बाल को परीक्षण के दौरान प्रदर्श एच (बी/एम 1191) के रूप में प्रदर्शित किया गया था जिसका परीक्षण करने पर उक्त बाल तथा अभियुक्त के रक्त नमूना प्रदर्श ए (बी/एम 1184) में समानता पाई गई थी।

73- इस प्रकार उक्त विशेषज्ञ साक्षी ने यह अभिमत दिया है कि अभियोक्त्री की जींस पेंट से प्राप्त पुरुष Y क्रोमोसोम एवं अभियुक्त के रक्त स्ट्रोत Y क्रोमोसोम समान थे। अभियोक्त्री/मृतिका के हाथ में पाया गया बालों का गुच्छा अभियुक्त का था। इस साक्षी ने उपरोक्त अभिमत के संबंध में दी गई रिपोर्ट प्र.पी. 40 पर स्वयं के हस्ताक्षर प्रमाणित किये हैं। प्रश्नगत प्रकरण में बलात्कार के संबंध में उक्त DNA परीक्षण में कोई भी सकारात्मक परिणाम नहीं आये हैं तथा DNA परीक्षण बलात्कार के संबंध में अभियोजन के विपरीत है। इस सम्बन्ध में सुनील विरुद्ध म.प्र. राज्य (2017) 4 एस. सी. सी. 393 में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया है कि —“यद्यपि डी.एन.ए. परीक्षण की सकारात्मक परिणाम अभियुक्त के विरुद्ध दृढ़ साक्ष्य निर्मित करता है तथा नकारात्मक परिणाम अभियुक्त के पक्ष में होता है। यदि डी. एन. ए. प्रोफाईल नहीं की गई थी या प्रमाणित नहीं की गई है फिर भी शेष साक्ष्य के आधार पर दोषसिद्धि संभावित है।”

74- प्रश्नगत प्रकरण में अभियोक्त्री की वैजाइनल एवं एनल स्लाइड में अभियुक्त के क्रोमोसोम या डी.एन.ए. का कोई सकारात्मक परिणाम नहीं आया है, किन्तु अभियोक्त्री की जींस पेंट अभियोक्त्री के हाथ में पाये गये बालों के गुच्छे से इस बात की पुष्टि हुई है जिससे यह नहीं माना जा सकता कि अभियोजन द्वारा कराये गये डी.एन.ए. परीक्षण पूर्ण रूप से अग्राह्य है। प्रतिपरीक्षण में बचाव पक्ष द्वारा नमूने प्राप्त होने की दिनांक डी. एन.ए. प्राप्त करने के लिए अपनाई गई तकनीक, STR तकनीक, BKM तकनीक, अभियोक्त्री के हाथ में उपस्थित बालों की

कितनी संख्या, परीक्षित बाल किस आयु के व्यक्ति के थे आदि तथ्यों को स्पष्ट कराया गया है, किन्तु उक्त विशेषज्ञ साक्षी द्वारा सम्पूर्ण तथ्यों को स्पष्ट नहीं किया है। उक्त अस्पष्ट तथ्यों से बचाव पक्ष को कोई भी लाभ प्रदान नहीं किया जा सकता है। सम्पूर्ण प्रतिपरीक्षण में ऐसा कोई भी तथ्य बचाव पक्ष स्थापित नहीं कर पाया है जिससे रिपोर्ट प्र.पी. 40 के निष्कर्षों के संबंध में किसी प्रकार का कोई संदेह उत्पन्न हो अथवा अभियुक्त के पक्ष में कोई निष्कर्ष निकाला जा सके।

75- प्रकरण में स्वतंत्र साक्षीगण द्वारा अभियोक्त्री की लाश को प्रथम बार देखे जाने के पश्चात् लाश की नग्न अवस्था व गुप्तांग पर आई चोटों के संबंध में स्वयं का अभिमत यह व्यक्त किया है कि अभियोक्त्री के साथ बलात्कार हुआ था। डॉ. कीर्ति बौरासी अ.सा. 18 ने उनके अभिमत में अभियोक्त्री के साथ बलात्कार होने की पुष्टि की है तथा एनल एरिया में भी सेक्सुअल असावृत के ओल्ड रिपीटेड चिन्ह पाये जाने का तथ्य व्यक्त किया है। अभियोक्त्री के जीवित अवस्था में उसके श्वसन तंत्र में मिट्टी, कीचड़ प्रविष्ट होने के चिन्ह पाये गये हैं जिनसे स्पष्ट रूप से यही निष्कर्ष निकलता है कि अभियोक्त्री के एनल एरिया में भी बलात्कार किया गया था। उपरोक्त परिस्थितियों के संबंध में अभियुक्त द्वारा कोई भी स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं किया गया है।

76- अभियोक्त्री के एंटीरियर वैजाइनल वाल पर राईट साईड में लाल रंग के रगड़ के निशान पाये थे। धारा 375 भारतीय दण्ड संहिता में **‘बलात्कार की परिभाषा’** को विस्तृत किया गया है, जिसके परिप्रेक्ष्य में प्रवेशन या अन्य लैंगिक संसर्ग के अतिरिक्त भी बलात्कार कारित किया जा सकता है। वैजाइनल स्लाइड में डी.एन.ए. प्रोफाईल प्राप्त नहीं होने मात्र से यह नहीं माना जा सकता है कि अभियोक्त्री का बलात्कार नहीं किया गया।

77- अभियोक्त्री के गुदा द्वार में पुराने चोट के निशान थे जो सफेदे रंग के थे तथा अभियोक्त्री का गुदा द्वार विस्तृत रूप से सामान्य गुदा द्वार की अपेक्षा अत्यधिक खुला हुआ था। एनल एरिया की रूगोसिटी एरिया में चिकनापन था तथा प्राकृतिक स्वरूप में शेष नहीं बचा था। अभियोक्त्री के गुदा द्वार का इस प्रकार खुला होना तथा शव परीक्षण में फेफड़े को दबाने पर ट्रेकिया में एवं मुंह में फेयरिंग्स में मिट्टी का पाया जाना अभियोक्त्री के साथ हुए लैंगिक शोषण की पराकाष्ठा है। अभियोक्त्री, जो कि लगभग 04 वर्ष 02 माह 15 दिन थी, प्रश्नगत घटना के पूर्व हुए लैंगिक शोषण को समझ ही नहीं सकी थी इसलिए अभियोक्त्री ने उक्त कृत्य के बारे में किसी को नहीं बताया। उपरोक्त तथ्यों से यह भी स्पष्ट होता है कि

अभियोक्त्री का निरंतर लैंगिक शोषण अभियुक्त द्वारा किया जाता रहा है वह समझ ही नहीं सकी थी कि उसके साथ क्या किया जा रहा है अभियोक्त्री उक्त लैंगिक शोषण के पश्चात् शारीरिक रूप से इस प्रकार क्षतिग्रस्त हो चुकी थी कि उसका गुदा द्वार पूर्ण रूप से खुल चुका था तथा प्रश्नगत घटना दिनांक को भी अभियुक्त द्वारा इस प्रकार बलात्कार किया गया कि अभियोक्त्री के श्वसन तंत्र में तथा मुंह में मिट्टी व कीचड़ प्रवेश कर गया। उक्त परिस्थिति में यही प्रतीत होता है कि अभियुक्त द्वारा क्रूरतम तरीके से अभियोक्त्री का बलात्कार किया जिसमें अभियोक्त्री स्वयं जीवन बचाने के लिए सांस लेती रही तथा उसके श्वसन तंत्र में मिट्टी तक प्रवेश कर गई। अभियोक्त्री की योनि में 4 से 6 ओक्लॉक तथा 7 से 9 ओक्लॉक में ब्लड जमा हुआ था लालिमा लिये हुए चोट जिससे यह प्रमाणित होता है कि अभियोक्त्री के साथ घटना के समय अभियुक्त ने बलात्संग भी कारित किया था।

78- प्रकरण में अभिलेख पर विद्यमान “प्रत्यक्ष साक्ष्य”, “परिस्थितिजन्य साक्ष्य” एवं “चिकित्सकीय साक्ष्य” से यह प्रमाणित है कि अभियुक्त द्वारा अभियोक्त्री का बलात्कार किया गया था। तदनुसार विचारणीय प्रश्न क्र. 3 अभियोजन द्वारा प्रमाणित है।

विचारणीय प्रश्न क्रमांक-4 पर निष्कर्ष :-

79- प्रश्नगत प्रकरण में अभियोक्त्री की आयु 12 वर्ष से कम होना प्रमाणित पाई गई है। लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 की धारा 5 में “गुरुत्तर प्रवेशन लैंगिक हमले” के संबंध में प्रावधान किये गये हैं अभियुक्त के विरुद्ध उक्त अधिनियम की धारा 5 (एम) सहपठित धारा 6 के अधीन आरोप विरचित किया गया है लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 की धारा 29 में यह प्रावधान किया गया है कि “जहां किसी व्यक्ति को इस अधिनियम की धारा 3, धारा 5, धारा 7 और धारा 9 के अधीन किसी अपराध को करने, करने का दुष्प्रेरण करने या करने का प्रयत्न करने के लिये अभियोजित किया जा रहा है। वहां विशेष न्यायालय यह उपधारणा करेगा कि ऐसे व्यक्ति ने वह अपराध किया है जब तक कि इसके विरुद्ध साबित नहीं हो जाता।”

80- अतः धारा 29 के अधीन एक विशेष न्यायालय किसी भी अभियोजित अभियुक्त के विरुद्ध यह उपधारणा करने के लिये बाध्य है कि उसने उस पर अभियोजित अपराध किया है, जब तक अभियुक्त उसके प्रतिकूल प्रमाणित न कर दे। अतः इस अधिनियम में विशिष्ट अपराधों के लिये अभियोजित होने पर अभियुक्त के विरुद्ध अपराध की उपधारणा निर्मित होती है और ऐसे में जहाँ अभियोजन को अपना प्रकरण संभावनाओं पर स्थापित करना होता है, वहाँ अभियुक्त

पर यह दायित्व है कि वह इसके प्रतिकूल प्रमाणित करे। उक्त विवेचना अनुसार अभियोजन ने पर्याप्त साक्ष्य से पीड़िता के इस पक्ष को युक्तियुक्त रूप से स्थापित किया कि अभियुक्त ने ही अभियोक्त्री के साथ बलात्कार किया था। डॉ. कीर्ति बौरासी अ.सा. 18 ने उनके अभिमत में यह व्यक्त किया है कि पीड़िता के शरीर पर बलात्कार के ताजे एवं एनल एरिया में ओल्ड रिपिटेड सेक्सुअल. असाल्ट के चिन्ह पाये गये थे, किन्तु इस प्रकरण में अभियोजन द्वारा अभियोक्त्री के लैंगिक शोषण तथा लैंगिक हमले के तथ्यों को प्रमाणित किया है। प्रवेशन के संबंध में भी डॉ. कीर्ति बौरासी अ.सा. 18 ने उनके अभिमत में यह व्यक्त किया है कि अभियोक्त्री के शरीर पर बलात्कार के ताजे निशान थे तथा इंटीरियर वैजार्नल वाल्व पर राईट साईड लाल कलर के रगड के निशान थे। उक्त प्रमाणित तथ्यों के विपरीत साबित करने का भार अभियुक्त का था किन्तु अभियुक्त की ओर से उपधारणा को खंडित नहीं किया गया है। अतः यह प्रमाणित है कि अभियुक्त द्वारा पीड़िता 12 वर्ष से कम आयु की थी, जिस पर अभियुक्त ने गुरुत्तर प्रवेशन लैंगिक हमला कारित किया था। तदनुसार विचारणीय प्रश्न क्र. 4 अभियोजन द्वारा प्रमाणित है।

विचारणीय प्रश्न क्र. 5 एवं 6 पर निष्कर्ष :-

- 81- साक्ष्य की पुनरावृत्ति निवारण हेतु विचारणीय प्रश्न क्र. 5 एवं 6 का निराकरण एक साथ किया जा रहा है।
- 82- सर्वप्रथम इस बात पर विचार किया जाना है कि “क्या घटना दिनांक को मृतिका/अभियोक्त्री की मृत्यु कारित हुई, जो कि आपराधिक मानव वध की श्रेणी में आती है?” इस सम्बन्ध में डॉ. कीर्ति बौरासी अ.सा.-18 ने न्यायालय के समक्ष दिये कथनों में यह अभिसाक्ष्य दी है कि दिनांक 16.12.17 को सामु. स्वा. केन्द्र मनावर जिला धार (म.प्र.) में मेडिकल ऑफिसर के पद पर पदस्थ होते हुए अभियोक्त्री के शव को उनके पास लाये जाने पर काम्पलिकेटेड केस होने से मेडिकल कॉलेज इंदौर फारेन्सिक डिपार्टमेन्ट में डॉक्टर की पैनल के माध्यम से पोस्टमार्टम करना बताया है। इस साक्षी के अनुसार उक्त पैनल में डॉ.ए. के. रस्तोगी असिस्टेंट प्रोफेसर एम.जी.एम. मेडिकल कालेज इंदौर, डॉ. नंदीप कुशवाह आर.एम.ओ. फारेन्सिक डिपार्टमेंट प्रोफेसर एम.जी.एम. मेडिकल कालेज इंदौर, डॉ. मालती सोलंकी सी.एम.ओ., एम. व्हाय. एच. इंदौर, डॉ. भूतल राठौड़ एम. ओ. पी.एच.सी. सिंघाना और वह स्वयं थी।
- 83- इस साक्षी ने मृतक के शव को सफेद चादर में लिपटा होना, अनसील्ट होना तथा चादर हटाने पर शव नग्न अवस्था में होना व्यक्त किया है तथा मृतक के सीधे हाथ में शर्ट फंसा होना, शर्ट के उपर मिट्टी व खून के धब्बे होना, शव पर मिट्टी व घास बहुत सारी जगह पर

लगी होना। सिर, चेहरे, मुँह, नाक पर मिट्टी, खून ज्यादा मात्रा में लगा होना व्यक्त किया है। इस साक्षी के अनुसार मृतिका की आंखे अधखुली हुई, कार्निया हेजी, मुँह आधा खुला हुआ, और जबान मुँह के अंदर थी। उपर के व नीचे के हाथ पैर सीधे थे। हाईपोस्टेटीस बाडी के पीछे की तरफ प्रजेन्ट थी। राईगरमार्टिस पूरे शरीर पर प्रजेन्ट थी और उसके उल्टे हाथ की मुट्ठी में बालों का गुच्छा था। गुर्दे से फीकरमेटर बाहर आ रहा था। इस साक्षी ने मृतिका के शव पर निम्नानुसार चोटे पाई थी :-

- 1— मृतिका के शरीर पर बहुत सारे एब्रेडेड कंटुजन अलग अलग साईज के थे सबसे बड़ा कंटुजन 2 बाय 0.5 और 1 बाय 0.5 से.मी. सीने में आगे की तरफ वर्टिकली प्रजेन्ट था। स्टर्नल नॉच से 7 से.मी.नीचे एवं मीट लाईन से 6.2 से. मी. लेफ्ट लेटरल साईज में।
- 2— मर्टीपल एब्रेजन अलग अलग साईज के थे। सबसे बड़ा 2 बाय 12 से.मी. व सबसे छोटा 0.5 बाय 0.5 से.मी. था। एंटीरियर एबडामल एरिया लेफ्ट लेटरल साईज में था।
- 3— मल्टीपल एब्रेजन अलग अलग साईज के थे। 0.5 बाय 0.1 से.मी.—0.2 बाय 0.1 से.मी.—10 बाय 8 से.मी.एरिया प्यूबिक सिम्फाईसिस रीजन में थे।
- 4— ग्रेज एब्रेजन अलग अलग साईज के थे। 1 बाय 0.5 से.मी.—0.5 बाय 0.5 से.मी. जो कि एंटीयर पार्ट आफ चेस्ट पर था जिसकी पोजिशन 5 से.मी.नीचे और मीडलाईन से 3 से.मी.राईट लेटरल थी।
- 5— मल्टीपल एब्रेजन अलग अलग साईज के थे। 1 बाय 0.2 से.मी.— 0.5 बाय 0.1 से.मी.एब्डोमन के लोअर पार्ट में राईट साईड में थे जो 7 बाय 6 से.मी. एरिया में थे।
- 6— लीनियर एब्रेजन 3 बाय 0.2 से.मी. जांघ में आगे की तरफ वर्टिकली प्लेस्ड—12 से.मी. नीचे एंटीरियर सुपीरियर इलेक स्पाईन से।
- 7— मल्टीपल एब्रेडेड कंटुजन अलग अलग साईज के थे। 1.5 बाय 0.6 से.मी. टू 0.5 बाय 0.3 से.मी. मेडीबल के जस्ट नीचे गर्दन के उपरी भाग में 5 बाय 3 से. मी.एरिया में।
- 8— ग्रेस्ड एब्रेजन 3.5 बाय 1 से.मी. सीधे चीक पर पीछे की तरफ जाता हुआ।
- 9— ग्रेस्ड एब्रेजन आफ साईज 3 बाय 1.5 से.मी.चेहरे के राईट लेटरल साईड पर आउटरएंगल आफ राईट आई के पास।
- 10— एब्रेजन 1.5 बाय 0.5 चीन एरिया में था।
- 11— कंटुज्ड एब्रेजन 6 बाय 5 से.मी. उल्टी गाल पर जाईकोमेटिक बोन एरिया उल्टी आंख के जस्ट नीचे था।
- 12— स्पीलिट स्कीन साईज 2 बाय 1 से.मी.मीडिल फिंगर के अगले भाग पर डिस्टल फेलिंग्स पर।
- 13— लीनियर एब्रेजन साईज 8 बाय 0.1 से.मी.सीने की पीछे की तरफ 6 वर्टिबल एरिया में तिरछा था।
- 14— लीनियर एब्रेजन साईज 1 बाय 0.1 से.मी. पीठ में 10 से.मी. 6 वर्टिबल एरिया से नीचे व 4.5 से.मी.मीडलाईन से लेफ्ट लेटरल
- 15— लीनियर एब्रेजन साईज 1.5 बाय 0.1 से.मी. पीठ में 6 वर्टिबल से 13 से.मी.नीचे

व 3 से.मी.राईट लेटरल टू मीडलाईन

16- लेसेरेटेड वुंड 3 बाय 1 से.मी. पीछे की तरफ राईट पिन्ना पर एड द बेस

हेड इंजुरी-

17- लेसेरेटेड वुंड 13 बाय 8 से.मी.स्केल्प पर इनवालविंग बोथ एरिया इंटीरियर साईड आफ पेरायटल एंड फ्रंटल एरिया में

18- ब्रेन केविटी खुली हुई थी, स्कल बोन के बहुत सारे टुकड़े हो गये थे और थोड़ा सा ब्रेन मेटर स्कल केविटी में प्रेजेन्ट था। मेनेजिंस लेसेरेटेड थे।

19- स्कल बोन 13 बाय 11 से.मी.लेफ्ट साईट की फ्रंटल और पेरायटल बोन फ्रेक्चर्ड और सेपरेटेड आउट थी।

20- स्कल बोन 13 बाय 13 से.मी.राईड साईड पोस्टीरियल पेरायटल और आक्सीपीटल एरिया की फ्रेक्चर व सेपरेटेड आउट थी।

21- स्कल बोन 7 बाय 4 से.मी. राईड साईड टेम्पोरल एरिया में फ्रेक्चर व सेपरेटेड आउट थी।

22- स्कल बोन 4.5 बाय 4 से.मी. राईड साईड आफ टेम्पोरल एरिया में फ्रेक्चर व सेपरेटेड आउट थी।

23- बेस आफ स्कल फ्रेक्चर लंबाई 12 से.मी.मीडलाईन

24- कंट्रुजन 14 बाय 12 से.मी. फ्रंटल और दोनों पेरायटल एरिया आफ स्केल्प पर मौजूद था।

चिकित्सकीय प्रतिवेदन प्र.पी. 26 में वर्णित उपरोक्त चोट क्र. 19 लगायत 23 मरने के पूर्व की होकर ताजा थी।

84- डॉ. कीर्ति बौरासी अ.सा. 18 के अनुसार शव के बाह्य परीक्षण के संदर्भ में इस साक्षी ने यह व्यक्त किया है कि मृतिका का शरीर सामान्य कद काठी की फीमेल बच्चा। पसलियां व फुफुस हेल्दी थे। श्वास नली व कंठ में मिट्टी मिक्स म्यूक्वाइड फ्लूड था। दाहिना फेफड़ा पीला व स्वस्थ था, दबाने पर कम मात्रा में ट्रेकिया में मिट्टी आई थी। हृदय-दोनों केविटी में थेडी मात्रा में ब्लड उपस्थित था। ओरल केविटी एवं फेयरिंग्स में मिट्टी उपस्थित थी, पेल व स्वस्थ था। पेट- 260 सी सी के करीब यलोईश कलर का डायजेस्टेड फुट मटेरियल मौजूद था। म्यूकोजा स्वस्थ थी। छोटी आंत डायजेस्ट फुड। बड़ी आंत फीकल मेटर एवं गैसेस मौजूद थी। प्लीला पेल स्वस्थ था। मुत्राशय खाली। बाह्य व भीतर जननेन्द्रियां कंट्रुजन लेबिया मेजोरा पर 4 से 6 ओ क्लॉक पोजिशन पर और 7 से 9 ओ क्लॉक पोजिशन पर, कंट्रुजन एंटीरियर वैजाइनल वाल पर राईड साईड, कंट्रुजन रेड कलर के थे। इस साक्षी के अनुसार एनल ओपनिंग में वाईडली ओपन, रुबोसिटी लास्ट, इन्सफीकटर लेक्जड, मल- मल्टीपल, रेडीकल, लीनियर, हिल्ड स्कार मार्क ओल्ड एण्ड रिसेन्ट प्रजेन्ट।

85- शव परीक्षण उपरांत इस साक्षी ने कपड़े और आर्टीकल प्रिजर्व किये थे जिनमें सेंचुरेटेड कामन साल्ट साल्युशन दो बॉटल में, स्टमक और उसके अंदर का कंटेन्ट और आंतों के

टुकड़े, प्रिजर वेटीव्यू साल्युशन सेम्पल-सेचुरेटेड कामन साल्ट साल्युशन मृतिका की राईट ओबिया बोन, डायटम एनालिसेस व मृतिका के फेफड़ों से मिली मिटटी को साक्ष्य के तौर पर प्रिजव किया गया था। सील नमूने के साथ सील लेबल्ड करके पुलिस आरक्षक नवलसिंह क्र. 848 अ.सा. 11 को सौंप दिया जाना बताया है। इस चिकित्सकीय साक्षी के मतानुसार मृतिका/अभियोक्त्री की मृत्यु का कारण केनियो सेरेब्रल डेमेज एस ए रिजल्ट आफ ब्लंट फोर्स ट्रामा टू द हेड रिजन, सिर पर जो चोट प्रजेन्ट थी वह सामान्य परिस्थितियों में मृत्यु के लिए पर्याप्त है एवं होमिसाईडल इन नेचर। इस साक्षी ने यह भी व्यक्त किया है कि मृतिका/अभियोक्त्री की मृत्यु की अवधि शव परीक्षण से 18 से 36 घंटे की भीतर की थी। शव परीक्षण रिपोर्ट प्र.पी.26 है, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। उक्त शव परीक्षण रिपोर्ट 5 पृष्ठों में है। प्रत्येक पृष्ठों पर ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। साक्षी ने यह भी व्यक्त किया है कि वह, डॉ.ए.के.रस्तोगी, डॉ.नंदीप कुशवाह, डॉ. मालती सोलंकी व डॉ. भूतल राठोड़ के हस्ताक्षर पहचानती है। यह सभी चिकित्सक शव परीक्षण पेनल में शामिल थे। इस साक्षी ने प्र. पी.26 के प्रत्येक पृष्ठ पर बी से बी भाग पर डॉ. ए.के.रस्तोगी, सी से सी भाग पर नंदीप कुशवाह, डी से डी भाग पर मालती सोलंकी व इ से इ भाग पर डॉ. भूतल राठोड़ के हस्ताक्षर प्रमाणित किये हैं।

- 86- अ.सा.-1 ने अभिसाक्ष्य दी है कि उसे उसकी लडकी की लाश मान नदी किनारे मरी पड़ी होने पर उसने जाकर देखा तो मृतिका का सिर कुचला हुआ था, उसकी लडकी की अभियुक्त ने सिर में पत्थर मारकर हत्या कर दी थी। नक्शा पंचायतनामा प्र.पी. 3 पर इस साक्षी ने अपने हस्ताक्षर प्रमाणित किये हैं। दुर्गा अ.सा. 2 के अनुसार उसने मृतिका की लाश को देखा ताँ उसको सिर पर पत्थर मारा हुआ था, सिर कुचला हुआ था और भेजा बाहर हो गया था। पत्थर पास में पड़ा हुआ था जिस पर खून लगा हुआ था। उसने अभियुक्त को आखरी समय अभियोक्त्री को ले जाते हुए देखा था। काजल अ.सा.-3 के अनुसार मृतिका/अभियोक्त्री का सिर पत्थर से चकनाचूर हो गया था, पत्थर लाश के पास पड़ा हुआ था उस पर खून लगा हुआ था। उसने आखरी बार अभियुक्त को अभियोक्त्री को हाथ पकड़कर ले जाते हुए देखा था। अभियुक्त ने ही अभियोक्त्री के सिर पर पत्थर पटककर उसकी हत्या कर दी है जिससे अभियोक्त्री का पूरा भेजा बिखरा हुआ था। मुकेश अ.सा. 5 ने अभिसाक्ष्य दी है कि वह मौके पर गया था, मृतिका/अभियोक्त्री की लाश उसने देखी थी, वह सिर से कुचली हुई थी, पत्थर से कुचली हुई थी। पास ही बड़ा पत्थर पड़ा हुआ था जो करीब दस-साढ़े दस किलो का होगा और पत्थर पर खून लगा हुआ था। मांगीलाल अ.सा. 6 ने न्यायालय के समक्ष दिये कथन में बताया है कि उसने

अभियोक्त्री/पीडिता की लाश देखी थी, उसका सिर कुचला हुआ था। लोकेश असा. 7 की अभिसाक्ष्य है कि उसने मृतिका की लाश देखी थी उसका सिर कुचला हुआ था, पत्थर के दोनों तरफ खून लगा हुआ था, पत्थर 8-10 किलो का था, जो वहीं पर पड़ा हुआ साक्षी के अनुसार अभियुक्त ने अभियोक्त्री का मर्डर किया है। ओम अ.सा. 8 ने न्यायालयीन कथनों में व्यक्त किया है कि मान नदी के वहां उसने अभियोक्त्री की लाश देखी थी, सिर कुचला हुआ था, पत्थर पास में पड़ा हुआ था जिस पर खून लगा हुआ था और आरोपी ने उसके सिर पर मारकर उसकी हत्या कर दी थी।

87- बचाव पक्ष की ओर से मृतक की मृत्यु होना विवादित नहीं किया है। डा. कीर्ति बौरासी अ.सा. 18 स्वयं स्वतंत्र एवं निष्पक्ष साक्षी हैं। उसके प्रतिपरीक्षण में ऐसा कोई तथ्य नहीं आया है जो उसके कथन और अभिमत पर अविश्वास करने का आधार उत्पन्न करता हो।

88- इस प्रकार अभियोजन की ओर से प्रस्तुत साक्ष्य से प्रमाणित होता है कि मृतिका/अभियोक्त्री की लाश मनावर स्थित जगन्नाथपुरा में मान नदी के किनारे मिली थी और मृतिका/अभियोक्त्री का सिर कुचला हुआ था और चिकित्सीय साक्ष्य अनुसार केनियो सेरेब्रल डेमेज एस ए रिजल्ट आफ ब्लंट फोर्स ट्रामा टू द हेड रिजन, सिर पर जो चोट प्रजेन्ट थी वह सामान्य परिस्थितियों में मृत्यु के लिए पर्याप्त है एवं होमिसाईडल इन नेचर। अतः यह तथ्य युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित है कि मृतिका/अभियोक्त्री के सिर में आई चोटों के कारण उसकी मृत्यु कारित हुई थी, जो “आपराधिक मानव वध” की श्रेणी में आती है।

89- अब यह देखा जाना है कि “क्या अभियुक्त द्वारा ही अभियोक्त्री/पीडिता की साशय या ज्ञानपूर्वक मृत्यु कारित कर हत्या कारित की गई है?”

90- अभियोजन द्वारा प्रस्तुत प्रकरण “परिस्थितिजन्य-साक्ष्य” पर आधारित है। अभियुक्त को अभियोक्त्री के अंतिम बार साथ जाना प्रमाणित है। अभियुक्त अभियोक्त्री को कुएँ तरफ ले गया था उसके पश्चात् अभियोक्त्री को जीवित अवस्था में नहीं देखा गया। शव परीक्षण प्रतिवेदन प्र.पी. 26 के अनुसार भी अभियोक्त्री की मृत्यु शव परीक्षण से 18 से 36 घंट के भीतर हुई थी। अभियुक्त द्वारा ऐसा कोई तथ्य स्थापित नहीं किया गया है कि उसे अभियोक्त्री के साथ अंतिम बार देखे जाने के पश्चात् वह अभियोक्त्री को जीवित अवस्था में छोड़कर अन्यत्र कहीं चला गया था। प्रश्नगत प्रकरण में यह तथ्य भी अभिलेख पर स्पष्ट हुआ है कि अभियुक्त, अभियोक्त्री का दूर का रिश्तेदार है। अभियोक्त्री के गुम हो जाने तथा अभियोक्त्री की लाश मिलने तक की अवधि में अभियुक्त द्वारा किसी भी प्रकार की कोई भूमिका नहीं निभाई गई है। जब अभियोक्त्री

के परिजन व अन्य लोग अभियोक्त्री की तलाश कर रहे थे तब अभियुक्त बेसरबाई के घर सोया था जब साक्षी मांगीलाल और लोकेश ने अभियुक्त के मुंह पर पानी छींट कर जगाकर पूछा तो अभियुक्त ने बोला “ठोक दिया-ठोक दिया” तब अभियोक्त्री के बारे में पूछने पर उसने “मान नदी की तरफ” हाथ बताया और फिर सो गया। उपरोक्त परिस्थितियों में अभियुक्त का आचरण संदेहास्पद होकर सुसंगत तथ्य है। अभियुक्त द्वारा अभियोक्त्री को तलाश करने में कोई सहयोग नहीं करने तथा किसी अन्य महिला बेसरबाई के घर सोते हुए पाया जाना अभियुक्त का उक्त आचरण इस परिस्थिति को इंगित करता है कि जिस अभियोक्त्री को तलाश किया जा रहा है वह कभी भी जीवित अवस्था में प्राप्त नहीं होगी।

91- अभियुक्त की ओर से यह बचाव लिया गया है कि अभियोजन द्वारा बेसरबाई को परीक्षित नहीं कराया गया है। यद्यपि उसे परीक्षित कराया जाता तो बेसरबाई इस तथ्य को स्पष्ट कर सकती थी कि अभियुक्त उसके घर कब से सोया था। बचाव पक्ष की ओर से किसी भी साक्षी को ऐसा सुझाव नहीं दिया है कि अभियुक्त सुबह, दोपहर अथवा शाम से बेसरबाई के घर सोया था। अभियुक्त कब से बेसरबाई के घर सोया था, यह तथ्य अभियुक्त के विशेष ज्ञान का तथ्य है जिसे अभियुक्त ने स्वयं के बचाव में भी स्पष्ट नहीं किया है। अतः ऐसी स्थिति में उक्त बेसरबाई को परीक्षित नहीं कराया जाना अभियोजन के लिए घातक नहीं है बल्कि इससे तो अभियुक्त का यह आचरण दर्शित होता है कि वह घटना के पश्चात स्वयं के घर न जाते हुए बेसरबाई के घर जाकर सो गया था। अभियुक्त का उक्त आचरण भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 8 में सुसंगत है तथा “फरार होने के तुल्य” है।

92- अभियुक्त द्वारा साक्षी मांगीलाल एवं लोकेश के समक्ष बोले गये शब्द “ठोक दिया-ठोक दिया” के संबंध में बचाव पक्ष का यह तर्क नहीं है कि अभियुक्त द्वारा उक्त शब्द नहीं बोले गये, बल्कि बचाव पक्ष का यह तर्क है कि “ठोक दिया” शब्द उनके समाज में हत्या के लिए प्रयुक्त नहीं होता है तथा उक्त शब्द केवल फिल्मों में उपयोग किया जाता है। बचाव पक्ष की उक्त दलील से यह तो प्रमाणित होता है कि अभियुक्त द्वारा उक्त शब्द साक्षी मांगीलाल एवं लोकेश के समक्ष बोले गये थे। प्रकरण में बचाव पक्ष का ऐसा भी कोई तथ्य स्थापित नहीं किया गया है जिससे “ठोक दिया” शब्द का अन्य कोई अर्थ निकाला जा सके। वैसे भी शब्दों का आशय उसे बोलने वाला व्यक्ति ही बता सकता है जबकि अभियुक्त इस संबंध में पूर्णतः मौन है कि उसने “ठोक दिया” शब्द क्यों व्यक्त किये गये थे तथा मान नदी की तरफ इशारा क्यों किया था?

93- अभियुक्त के पास इस संबंध में दो बचाव उपलब्ध थे प्रथम तो वह यह बचाव ले सकता था कि उसने उक्त शब्द नहीं बोले तथा मान नदी की तरफ इशारा नहीं किया तथा दूसरा यह कि उसके द्वारा बोले गये शब्द तथा इशारे का अन्य कोई अर्थ निकलता है। अभियुक्त द्वारा उक्त दूसरे बचाव को लिया गया था जिसे स्थापित करने का भार स्वयं अभियुक्त का था, उसमें अभियुक्त विफल हुआ। अभियुक्त के उक्त आचरण को भी एक विपरीत परिस्थिति के रूप में अभियोजन द्वारा प्रमाणित किया गया है। क्योंकि अभियुक्त को उक्त शब्द व संकेत के पश्चात अभियोक्त्री की लाश मान नदी में ही मिली थी। उपरोक्त परिस्थिति के संबंध में बचाव पक्ष का यह भी तर्क रहा है कि अभियोक्त्री के शरीर पर जो चोट थी, वह वाहन दुर्घटना में आ सकती है, जिसे डॉ. कीर्ति बौरासी अ.सा. 18 ने उनके प्रतिपरीक्षण में स्पष्टीकरण सहित अस्वीकार किया है। घटनास्थल नक्शा मौका प्र.पी. 5 में लाश प्राप्ति का स्थान "A" रूप में दर्शित किया गया होकर नदी का किनारा है जहां वाहनों का आवागमन नहीं होने से अभियोक्त्री को दुर्घटनात्मक चोटे आने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता है। अतः अभियुक्त के द्वारा जो "ठोक दिया" शब्द का उपयोग किया गया था वह निश्चित रूप से वह दुर्घटना के संबंध में न होकर स्वयं द्वारा किये गये कृत्य के संदर्भ में था।

94- प्रकरण में बचाव पक्ष द्वारा घटनास्थल के आसपास लोगों के मकान होना तथा स्वतंत्र साक्षियों को परीक्षित नहीं कराये जाने के तथ्य को भी तर्क के दौरान व्यक्त किया है। इस सम्बन्ध में साक्ष्य विधि का यह स्थापित विधिक सिद्धांत है कि किसी मामले को प्रमाणित किये जाने के लिए साक्षियों की संख्या महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि उनकी गुणवत्ता को परखा जाना चाहिए।

95- प्रश्नगत प्रकरण में घटनास्थल के आसपास लोगों के मकान होने का तथ्य प्रमाणित हुआ है किन्तु अभियुक्त अभियोक्त्री के परिवार से परिचित था, अतः ऐसी स्थिति में अभियोक्त्री घटनास्थल की तरफ जाते समय चिल्लाई हो, ऐसा नहीं माना जा सकता है। घटना-स्थल सुनसान खाईनूमा स्थान था जिसमें घटना घटित होते समय 04 वर्षीय अबोध-बालिका ने किस प्रकार विरोध किया होगा या चिल्लाई होगी, उक्त परिस्थितियों को केवल अभियुक्त ही बता सकता है, किन्तु अभियुक्त सम्पूर्ण परिस्थितियों के संबंध में मौन रहा है। घटनास्थल के आसपास मकान होने तथा अभियोक्त्री द्वारा चिल्लाये जाने पर किसी व्यक्ति द्वारा न सुना जाना, यह अभियोक्त्री का दुर्भाग्य हो सकता है जिसे अभियुक्त के सौभाग्य में नहीं बदला जा सकता है। अतः बचाव पक्ष का उक्त तर्क भी मानने योग्य नहीं है।

- 96- प्रकरण में अभियुक्त द्वारा दी गई जानकारी धारा 27 भारतीय साक्ष्य अधिनियम के प्रावधान अन्तर्गत अभियोजन द्वारा पूर्व में की गई विवेचना के अनुसार प्रमाणित की गई है अभियुक्त द्वारा दी गई जानकारी के पश्चात वास्तविक घटनास्थल का पता चलना जो कि एक खार्डनुमा स्थान था उक्त स्थान से अभियोक्त्री का जींस, खून लगा पत्थर तथा परमल की थैली को जप्त किया गया उक्त तथ्य केवल अभियुक्त की जानकारी एवं ज्ञान में थे। अभियुक्त से स्वयं की पेंट एवं शर्ट, जिन पर मृतिका का रक्त लगा था, उसके पेश करने पर जप्त किये गये हैं, इस सम्बन्ध में जप्ती को भी अभियोजन द्वारा प्रमाणित किया गया है।
- 97- डॉ. अनिल कुमार सिंह ने यह व्यक्त किया है कि डी.एन.ए. प्रोफाइलिंग हेतु प्राप्त प्रदर्शों पर किये परीक्षण के आधार निम्नलिखित निश्चायक परिणाम प्राप्त हुए थे। अभियुक्त करण उर्फ फतिया के पेश करने पर जप्त मृतिका अभियोक्त्री की जींस पेंट के स्रोत प्रदर्श एफ. (बी/एम 1189) से पुरुष व्हाय कोमोसोम एस.टी.आर.डी.एन.ए.प्रोफाइल प्राप्त हुई। अभियुक्त करण उर्फ फतिया के पेश करने पर जप्त मृतिका अभियोक्त्री की जींस पेंट के स्रोत प्रदर्श एफ. (बी/एम 1189) से प्राप्त पुरुष व्हाय कोमोसोम एस.टी.आर.डी.एन.ए.प्रोफाइल के प्रत्येक जेनेटिक मार्कर पर पाये गये एलील एवं अभियुक्त करण उर्फ फतिया के स्रोत रक्त नमूना प्रदर्श ए (बी/एम 1184) से प्राप्त व्हाय कोमोसोम एस.टी.आर.डी.एन.ए.प्रोफाइल के प्रत्येक जेनेटिक मार्क पर पाये गये एलील एकसमान है। इस साक्षी के द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के पृष्ठ क्रं.3 पर तालिका 2 में प्रकरण के विभिन्न प्रदर्शों से प्राप्त आटोसोमल एस.टी.आर.डी.एन.ए.प्रोफाइल का विवरण दिया गया है। उपरोक्त तालिका के अनुसार अभियुक्त करण उर्फ फतिया के पेश करने पर जप्त पेंट प्रदर्श बी (बी/एम 1185) शर्ट प्रदर्श सी (बी/एम 1186), घटनास्थल से जप्त पत्थर प्रदर्श ई (बी/एम 1188) से प्राप्त महिला ऑटोसोमल एस.टी.आर.डी.एन.ए.प्रोफाइल के प्रत्येक जेनेटिक मार्कर पर पाये गये। उसके द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के पृष्ठ क्रं. 4 पर तालिका 3 में प्रकरण के विभिन्न प्रदर्शों से प्राप्त ऑटोसोमल एस.टी.आर.डी.एन.ए.प्रोफाइल का विवरण दिया गया। उपरोक्त तालिका के अनुसार मृतिका अभियोक्त्री के बांये हाथ में पाये गये बालों का गुच्छा प्रदर्श एच (बी/एम 1191) के स्रोत से प्राप्त पुरुष ऑटोसोमल एस.टी.आर.डी.एन.ए.प्रोफाइल के प्रत्येक जेनेटिक मार्कर पर पाये गये एलील जोड़े एवं अभियुक्त करण उर्फ फतिया के स्रोत रक्त नमूना प्रदर्श ए (बी/एम 1184) से प्राप्त ऑटोसोमल एस.टी.आर.डी.एन.ए.प्रोफाइल के प्रत्येक जेनेटिक मार्कर पर पाये गये एलील जोड़े एकसमान है। घटनास्थल से जप्त पत्थर (प्रदर्श इ) एवं अभियुक्त करण उर्फ फतिया के पेश करने पर जप्त पेंट (प्रदर्श बी) एवं शर्ट (प्रदर्श सी) से प्राप्त महिला ऑटोसोमल एस.टी.आर.डी.एन.ए.प्रोफाइल मृतिका अभियोक्त्री के स्रोत प्रदर्श आई एवं जे

के समान है।

98. अभियुक्त द्वारा यह भी बचाव लिया गया है कि अभियुक्त का मकान व कृषि भूमि है जिसे हड़पने के लिए साक्षीगण झूठ बोलते हैं किन्तु बलात्कार के मामले में उक्त सुझाव या तर्क मात्र सुसंगत नहीं माना जा सकता है जब तक उसे अन्यथा प्रमाणित न कर दिया जावे।
- 99- अभियुक्त द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर घटनास्थल से अभियोक्त्री के जींस, खून लगा पत्थर, परमल की थैली आदि जप्त किये गये हैं। अभियुक्त के चप्पलों पर तथा शर्ट के बॉह पर अभियोक्त्री का रक्त लगा होना प्रमाणित हुआ है जबकि अभियुक्त, अभियोक्त्री को तलाश करने नहीं गया। अभियोक्त्री का रक्त अभियुक्त के कपड़ों पर किस प्रकार लगा, इसका भी अभियुक्त द्वारा कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है। यह परिस्थिति भी अभियुक्त के विपरीत होकर अभियुक्त की दोषिता को ही इंगित करती है।
- 100- प्रश्नगत प्रकरण में यह तथ्य भी प्रमाणित है कि अभियोक्त्री की आयु 04 वर्ष थी। अभियुक्त के विरुद्ध लैंगिक अपराधों से बालकों के संरक्षण अधिनियम, 2012 की धारा 5 (एम) के अंतर्गत दण्डनीय अपराध भी प्रमाणित हुआ है। उक्त अधिनियम में वर्णित धारा 29 की उपधारा को भी अभियुक्त द्वारा खंडित नहीं किया गया है। अभियुक्त द्वारा सम्पूर्ण प्रकरण में कोई भी प्रभावी बचाव नहीं लिया गया है। अभियुक्त द्वारा “रंजिश” और “झूठा फंसाये जाने” का बचाव तथा अन्वेषण में हुई त्रुटियों के आधार पर स्वयं को निर्दोष होना बताया है किन्तु अभिलेख पर अभियोजन के अन्वेषण के दौरान ऐसी कोई त्रुटि स्थापित नहीं हुई है जो अभियोजन के मामलों को पूरी तरफ ध्वस्त करती हो। विधि का स्थापित सिद्धांत है कि अन्वेषण में कमी का लाभ अभियुक्त को दिया जाना उसे पुरुस्कृत करने के समान होता है। प्रश्नगत प्रकरण में अन्वेषण के दौरान ऐसी कोई त्रुटि बचाव पक्ष स्थापित नहीं कर पाया है जो अभियोजन के मामले की जड़ तक जाती हो, को पूर्ण रूप से ध्वस्त करती हो। अतः अभियुक्त के विपरीत उक्त समस्त परिस्थितियां अभियुक्त की दोषिता को ही प्रमाणित करती है।
- 101- “हत्या” भा.दं.वि. की धारा 300 में परिभाषित की गई है जो इस प्रकार है :-**पहला** – हत्या—एतस्मिन् पश्चात् अपवादित दशाओं को छोड़कर आपराधिक मानव वध हत्या है, यदि वह कार्य, जिसके द्वारा मृत्यु कारित की गई हो, मृत्यु कारित करने के आशय से किया गया हो, अथवा **दूसरा** – यदि वह ऐसी शारीरिक क्षति कारित करने के आशय से किया गया हो जिससे अपराधी जानता हो कि उस व्यक्ति की मृत्यु कारित करना सम्भाव्य है जिसको वह अपहानि कारित की गई है, अथवा **तीसरा** – यदि वह किसी व्यक्ति को शारीरिक क्षति कारित करने के

आशय से किया गया हो और वह शारीरिक क्षति, जिसके कारित करने का आशय हो, प्रकृति के मामूली अनुक्रम में मृत्यु कारित करने के लिए पर्याप्त हो, अथवा **चौथा** – यदि कार्य करने वाला व्यक्ति यह जानता हो कि वह कार्य इतना आसन्न संकट है कि पूरी अधिसंभाव्यता है कि वह मृत्यु कारित कर ही देगा या ऐसी शारीरिक क्षति कारित कर ही देगा जिससे मृत्यु कारित होना सम्भाव्य है और वह मृत्यु कारित करने या पूर्वोक्त रूप की क्षति कारित करने की जोखिम उठाने के लिए किसी प्रति हेतु के बिना ऐसा कार्य करे।

102- न्यायदृष्टांत विरसा सिंह बनाम पंजाब राज्य 1958 एस. सी. आर. 1495 में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा यह प्रतिपादित किया गया है कि भा.दं.सं. धारा 300 भाग 3 के अन्तर्गत मामले को लाने के लिए अभियोजन को निम्न बातें अवश्य साबित करनी चाहिये –

- (1) पहला शारीरिक क्षति विद्यमान हो,
- (2) उपहति की प्रकृति साबित की जानी चाहिए,
- (3) उक्त शारीरिक उपहति कारित करने का आशय किया जाना चाहिए,
- (4) उपर्युक्त उपहति प्रकृति के सामान्य अनुक्रम में मृत्यु कारित करने के लिए पर्याप्त हों, अपराधी का आशय महत्वपूर्ण नहीं है।

103- प्रश्नगत प्रकरण में मृतिका को शारीरिक क्षति विद्यमान है तथा उक्त शारीरिक क्षति प्रकृति के सामान्य अनुक्रम में मृत्यु कारित करने के लिए पर्याप्त है। अभियोक्त्री की मृत्यु का कारण सिर में आई चोट होना प्रमाणित है। प्रश्नगत प्रकरण में अभियोक्त्री के साथ बलात्कार किये जाने तथा उसके पश्चात अभियोक्त्री को आई शारीरिक चोटों को तथा मामले के उजागर होने के भय से अभियुक्त द्वारा अभियोक्त्री के सिर पर पत्थर मारकर उक्त क्षति कारित की गई है। प्रश्नगत प्रकरण में यह भी उल्लेखनीय है कि अभियोक्त्री के एनल पार्ट में ओल्ड रिपिटेड सेक्सुअल. असाルト के चिन्ह पाये गये थे अतः निश्चित रूप से अभियुक्त द्वारा उक्त शारीरिक क्षति मृत्यु कारित करने के आशय से ही कारित किया जाना भी प्रमाणित है।

104- अभियोक्त्री के शव परीक्षण प्रतिवेदन प्र.पी. 26 में अभियोक्त्री को आई चोट क्रमांक 19 लगायत 23 मृत्यु पश्चात की है। अभियोक्त्री का सिर कुचली हुई अवस्था में मिला था, जिसमें अभियोक्त्री का ब्रेन मेटर बाहर निकल आया था तथा शव को घटनास्थल से दूर फेंका गया था। उक्त परिस्थितियों में अभियुक्त का यही आशय प्रतीत होता है कि अभियुक्त अभियोक्त्री की पहचान को समाप्त करना चाहता था। अतः उपरोक्त परिस्थितियों में अभियुक्त ने अभियोक्त्री की हत्या करने के पश्चात् उसके मृत शरीर को मान नदी किनारे फेंककर अथवा

छिपाकर साक्ष्य का विलोपन किया जाना भी प्रमाणित है।

- 105- उपरोक्त कंडिकाओं में की गई मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य की विवेचना, निष्कर्षित परिस्थितियों, डी.एन.ए. परीक्षण रिपोर्ट से प्राप्त निष्कर्ष और उस पर दिये गये विशेषज्ञ साक्षी के द्वारा दिये गये अभिमत के आधार पर अभियोजन पक्ष अभियुक्त के विरुद्ध युक्तियुक्त संदेह से परे यह प्रमाणित करने में पूर्णतः सफल रहा है कि अभियुक्त ने दिनांक 15-12-2017 को 5:30 बजे से 7:00 बजे के मध्य थाना मनावर जिला धार क्षेत्रान्तर्गत जगन्नाथपुरा मनावर में फरियादी (अ.सा.-1) की अवयस्क पुत्री अभियोक्त्री, जो कि 18 वर्ष से कम आयु की बालिका थी, को उसके वैध संरक्षक की संरक्षकता से हटाकर व्यपहरण किया तथा अभियोक्त्री, जो कि 16 वर्ष से कम थी, को मान नदी किनारे ले जाकर उसकी इच्छा व सहमति के विरुद्ध उसके साथ सम्भोग कर बलात्संग कारित कर साशय या ज्ञानपूर्वक उसकी मृत्यु कारित कर हत्या की तथा अभियोक्त्री के साथ बलात्कार कर हत्या करने के पश्चात् उसका मृत शरीर मान नदी किनारे फेंक अथवा छिपाकर साक्ष्य का विलोपन किया और 12 वर्ष से कम आयु की अभियोक्त्री पर गुरुत्तर प्रवेशन लैंगिक हमला किया।
- 106- अतः अभियुक्त करण उर्फ फतिया के विरुद्ध धारा 363, 376 (2) (आई), 302, 201 भारतीय दण्ड संहिता 1860 तथा धारा 5 (एम) सहपठित धारा 6 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 के तहत लगाया गया आरोप युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित पाये जाने से अभियुक्त को उक्त धाराओं के अधीन सिद्धदोष पाते हुए दोषसिद्ध ठहराया जाता है।
- 107- दण्ड के प्रश्न पर अभियुक्त को सुने जाने हेतु धारा 235 (2) दं.प्र.सं. के अंतर्गत निर्णय लेखन दोपहर पश्चात् तक के लिये स्थगित किया गया। सही/-

(अकबर शेख)
अपर सत्र न्यायाधीश,
मनावर जिला धार (म0प्र0)

पुनश्च :- (दोपहर पश्चात)

—: दण्डादेश :-

108. दण्ड के प्रश्न पर उभय पक्ष को सुना गया।
- 109- अभियोजन पक्ष द्वारा यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि अभियुक्त के विरुद्ध धारा 363, 376 (2) (आई), 302, 201 भारतीय दण्ड संहिता 1860 तथा धारा 5 (एम) सहपठित धारा 6 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 के अंतर्गत दण्डनीय अपराध युक्तियुक्त

संदेह से परे प्रमाणित किया गया है। अभियुक्त द्वारा 04 वर्षीय अबोध बालिका का व्यपहरण कर उसके साथ बलात्कार करने के पश्चात् उसकी हत्या की है। अभियुक्त द्वारा किया गया कृत्य स्वयं में ही अधिकतम दण्ड से दण्डित किये जाने योग्य है। अतः अभियोजन द्वारा अभियुक्त को प्रत्येक प्रमाणित अपराध में अधिकतम दण्ड अधिरोपित किये जाने का निवेदन किया गया है।

110- बचाव पक्ष द्वारा व्यक्त किया गया है कि अभियुक्त प्रथम सिद्धदोष-अपराधी है अभियुक्त नवयुवक है, अभियुक्त में सुधरने की संभावना है। अतः अभियुक्त को न्यूनतम दण्ड से दंडित किये जाने का निवेदन किया गया है। अभियुक्त की ओर से कम आयु के आधार पर उसके प्रति उदारता बरते जाने का निवेदन किया गया है। प्रकरण की अभियोक्त्री/पीड़िता की आयु मात्र 04 वर्ष की थी, जिसकी बलात्कार पश्चात् अभियुक्त द्वारा “हत्या” कारित की गई है। प्रकरण की पीड़िता की आयु एवं अभियुक्त द्वारा किये गये कृत्य की प्रकृति से ही यह स्पष्ट होता है कि अभियुक्त आयु के आधार पर किसी भी प्रकार की सहानुभूति का पात्र नहीं है।

111- प्रकरण का अवलोकन किया गया। प्रश्नगत प्रकरण में अभियुक्त को धारा 363, 376 (2) (आई), 302, 201 भारतीय दण्ड संहिता 1860 तथा धारा 5 (एम) सहपठित धारा 6 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 के अंतर्गत सिद्धदोष पाते हुए दण्ड दिया जाना है, जिसमें धारा 302 भा.दं.वि. के अन्तर्गत अभियुक्त को “मृत्यु दण्ड” भी दिया जा सकता है।

112- दण्डादेश के प्रश्न पर विचार किये जाते समय न्यायालय का यह दायित्व है कि वह प्रकरण की समस्त परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए तथा समाज की सुरक्षा व हितों को दृष्टिगत रखते हुए दण्डादेश पारित करें। न्यायदृष्टांत हिमाचलप्रदेश राज्य विरुद्ध निर्मलादेवी ए. आई. आर. 2017 एस. सी. 1981 में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया है :-“ It is the duty of the court to impose adequate sentence, for one of the purposes of imposition or requisite sentence is protection of the society and the legitimate response to the collective conscience. The paramount principle that should be the guiding laser beam is that the punishment should be proportionate. It is the answer of law to the social conscience. In a way, it is an obligation to the society which has reposed faith in the court of law to curtail the evil. While imposing the sentence it is the court's accountability to remind itself about its role and the reverence for rule of law. It must evince the rationalised judicial discretion and not an individual

perception or a moral propensity. But in the ultimate eventuate the proper sentence is not awarded, the fundamental grammar of sentencing is guillotined. Law cannot tolerate it, society does not withstand it, and sanctity of conscience abhors it. The old saying "the law can hunt one's past" cannot be allowed to be buried in an indecent manner and the rainbow of mercy, for no fathomable reason, should be allowed to rule. True it is, it has its own room, but in all circumstances, it cannot be allowed to occupy the whole accommodastion. The victim, in this case, still cries for justice."

- 113- प्रश्नगत प्रकरण में अभियुक्त द्वारा 04 वर्षीय अभियोक्त्री का व्यपहरण कर उसके साथ बलात्कार किये जाने के पश्चात् पत्थर से उसका शव कुचल कर हत्या कारित की है। अभियोक्त्री के साथ अभियुक्त द्वारा क्रूर तरीके से सम्पूर्ण घटनाक्रम को कारित किया गया है। अभियोक्त्री के गुदा द्वार अत्यन्त खुला हेकर ओल्ड रिपिटेड सेक्सुअल असाल्ट के चिन्ह भी पाये गये हैं। अभियोक्त्री की गुदा द्वारा प्राकृतिक रूप में भी शेष नहीं बचा था। अभियोक्त्री के श्वसन तंत्र तक मिट्टी, कीचड़ व घास उसकी जीवित अवस्था में प्रवेश कर चुकी थी। अभियुक्त द्वारा पश्चात्वर्तीय प्रक्रम पर निर्मम तरीके से हत्या कारित की गई है, किन्तु उपरोक्त पीड़िता तथा अंतिम मृत्यु के मध्य पीड़िता कितनी बार मर चुकी होगी, इसका अंदाजा लगाना मुश्किल है। अभियुक्त का कृत्य न केवल 04 वर्षीय अबोध बालिका के विरुद्ध था, किन्तु सम्पूर्ण समाज के स्थापित नियमों के विरुद्ध भी है। न्यायदृष्टांत बच्चनसिंह विरुद्ध पंजाब राज्य (1980) 2 एस. सी. सी. 684 और माछीसिंह विरुद्ध पंजाब राज्य (1983) 3 एस. सी. सी. 470 में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया है कि

- (क) सामान्य नियम है कि हत्या के अपराध को आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डनीय किया जायेगा। न्यायालय इस नियम से केवल तब ही विचलन कर सकता है और मृत्युदण्ड अधिरोपित कर सकता है, जब ऐसा करने का विशेष कारण हो। ऐसे कारण को मृत्युदण्ड दिये जाने से पूर्व अवश्य ही लेखबद्ध किया जाना चाहिए।
- (ख) जब भा.दं.सं. की धारा 302 के अन्तर्गत अपराध के लिए दण्डादेश के प्रश्न पर विचार किया जा रहा हो, तब न्यायालय को अपराध और अपराधी से सम्बन्धित प्रत्येक सुसंगत परिस्थितियों पर चार करना चाहिए। यदि न्यायालय पाता है, न कि अन्यथा, अपराध एक आपवादिक रूप से

नैतिकता को बिगाड़ने वाला और घृणित प्रकृति का है तथा उसके प्रारूप और उसके किये जाने के तरीके के कारण वह व्यापक रूप से समाज के लिए खतरा है, तब न्यायालय “मृत्युदण्ड” अधिरोपित कर सकता है।”

114- इसी प्रकार माछीसिंह के मामले में “विरल से विरलतम (**rarest of the rare**)” के मामले के सिद्धांत को और अधिक स्पष्ट किया है कि मृत्युदण्ड केवल तभी दिया जाना चाहिए जब उसके तथ्यों एवं परिस्थितियों में आजीवन कारावास अपर्याप्त दण्ड प्रतीत होता हो और लघुत्तर परिस्थितियों को सम्मान देने के बावजूद मृत्युदण्ड अधिरोपित किये जाने के सिवाय अन्य कोई विकल्प न बचा हो और गुरुत्तर परिस्थितियों एवं लघुत्तर परिस्थितियों में संतुलन स्थापित किये जाने का प्रयास किया जाना चाहिए।

115- प्रश्नगत प्रकरण में **गुरुत्तर परिस्थितियां** निम्न हैं :-

(1)- 04 वर्षीय अबोध बालिका, जो संसार के सबसे सुरक्षित माने जाने वाले घर के आंगन में उसके छोटे भाई-बहिनों के साथ खेल रही थी, तभी अभियुक्त, जो कि अ.सा.-1 के दूर के रिश्तेदार मामा का लड़का होकर परिचित था और उसी मोहल्ले में रहता था उसे अपने साथ नदी तरफ ले गया और बलात्कार पश्चात् हत्या कारित कर दी थी। इस प्रकार अभियुक्त अभियोक्त्री के साथ वैश्वासिक सम्बन्ध में था किन्तु अभियुक्त ने अभियोक्त्री के साथ करतम अपराध कारित किया है।

(2)-प्रश्नगत प्रकरण की अभियोक्त्री निर्दोष एवं निसहाय बालिका थी जिसने मानव जीवन का कोई भी पहलू पूर्ण रूप से नहीं देखा था उसके पश्चात् ही प्रश्नगत घटना से उसका जीवन समाप्त हो गया। अभियुक्त द्वारा अभियोक्त्री के साथ बलात्कार की घटना को अत्यन्त क्रूर व स्वच्छन्द तरीके से कारित किया था। घटनास्थल पर पेशाब का गीलापन, अभियुक्त की उन्मादता को दर्शित करता है कि अभियुक्त द्वारा विचारशून्य होकर अभियोक्त्री की पीड़ा का अनुभव किये बिना सम्पूर्ण घटनाक्रम कारित किया था।

(3)- अभियोक्त्री का लैंगिक शोषण किये जाने से अभियोक्त्री के गुदा द्वार का प्राकृतिक स्वरूप नष्ट हो चुका था। अभियुक्त के गुदा द्वार में ओल्ड रिपीटेड सेक्सुअल असाउल्ट के निशान पाये गये थे तथा घटना के पश्चात् अभियोक्त्री के गुदा द्वार से रक्त का स्त्राव भी होना पाया गया है। अभियोक्त्री के श्वसन तंत्र में मिट्टी, घास, कीचड़ प्रवेश कर गया था तथा अभियोक्त्री के मुंह, कण्ठ में भी मिट्टी के अवशेष पाये गये थे जिससे यही निष्कर्ष निकलता है कि अभियुक्त द्वारा उपरोक्त कृत्य किये जाते समय अभियोक्त्री जीवित अवस्था में थी तथा उसका

मुंह एवं नाक जमीन पर थी। अभियोक्त्री की इस पीड़ा की कल्पना नहीं की जा सकती है कि वह इस परिस्थिति में जीवन के प्रति कितनी संघर्षशील रही होगी तथा ऐसी परिस्थिति में उसकी मृत्यु निश्चित रूप से एक मुक्ति जैसी प्रतीत होती है।

(4)– अभियोक्त्री बाह्य व भीतर जननेन्द्रियां कंट्यूजन लेबिया मेजोरा पर 4 से 6 ओ क्लॉक पोजिशन पर और 7 से 9 ओ क्लॉक पोजिशन पर, कंट्यूजन एंटीरियर वैजाइनल वाल पर साईड साईड, कंट्यूजन रेड कलर के थे।

(5)– अभियोक्त्री के हाथों में घटना के पश्चात् अभियुक्त के कुछ बाल भी थे जिससे अभियोक्त्री द्वारा घटना के समय किया गया संघर्ष परिलक्षित होता है। अभियोक्त्री ने अभियुक्त से बचने के लिए उसकी शारीरिक क्षमता के अनुसार प्रयास किया था।

(6)– अभियोक्त्री द्वारा लगभग 8 किलो के पत्थर से अभियोक्त्री के सिर पर वार किया जिससे रक्त के धब्बे जमीन पर एवं आसपास दूर तक गये तथा खोपड़ी की हड्डी का टुकड़ा रक्तरंजित अवस्था में शव से दूर पड़ा पाया गया। अभियोक्त्री का सिर इस प्रकार कुचला गया कि कपाल के उपर सिर की हड्डी टूटी होकर गहरा घाव था व अन्दर का मस्तिष्क दिखाई दे रहा था एवं अभियोक्त्री का ब्रेन मटेरियल बाहर निकल गया था।

(7)– अभियोक्त्री के कोमल एवं छोटे से शरीर पर कुल 24 चोट के निशान थे जिसमें बलात्कार की घटना कारित किये जाते समय अभियोक्त्री की जीवित अवस्था में आये रगड़ के निशान आदि भी सम्मिलित था।

116- (8)– अभियुक्त घटना कारित किये जाने के पश्चात् घर पर निश्चिन्त अवस्था में आकर सो गया।

117- प्रश्नगत प्रकरण में **लघुत्तर परिस्थितियां** निम्न बताई गई हैं :-

1– अभियुक्त नवयुवक है। अभियुक्त का प्रथम सिद्धदोष अपराध है

2– अभियुक्त में सुधर जाने की संभावना है।

3– अभियुक्त समाज के लिए निरन्तर खतरा नहीं है।

118- उपरोक्त लघुत्तर परिस्थितियां, गुरुत्तर परिस्थितियों पर प्रभावी इसलिए भी नहीं है क्योंकि –

1– अभियुक्त का नवयुवक होना निर्विवादित है तथा अभियोक्त्री की आयु 04 वर्ष तथा अभियुक्त की वयस्क आयु में यदि सामंजस्य स्थापित किया जावे तो गुरुत्तर परिस्थिति प्रभावी है।

लघुत्तरकारी परिस्थिति में आयु को विचार में लिया जा सकता है किन्तु अभियुक्त की उम्र निर्णायक नहीं होती है।

2— अभियुक्त में सुधर जाने की सम्भावना के संदर्भ में यह स्पष्ट है कि अभियुक्त द्वारा जिस प्रकार सुनियोजित ढंग से घटना कारित की है उसकी आपराधिक मनःस्थिति परिलक्षित होती है। अभियुक्त द्वारा अभियोक्त्री का इस घटना के पूर्व से निरंतर लैंगिक शोषण किया जाता रहा है। अतः “सुधर जाने की सम्भावना होने” मात्र से अपराध की “प्रत्यक्ष परिस्थितियों” को अनदेखा नहीं किया जा सकता है।

3— अभियुक्त का समाज के लिए निरंतर खतरा नहीं होने के संबंध में भी यही गुरुत्तर परिस्थिति प्रभावी हो जाती है कि अभियुक्त द्वारा अभियोक्त्री का निरंतर लैंगिक शोषण किया जाता रहा है। अभियुक्त में सुधर जाने की संभावना तथा समाज के लिए निरंतर खतरा नहीं होने के तथ्य की लघुत्तर परिस्थितियां भी गुरुत्तर परिस्थितियों पर अधिभावी नहीं मानी जा सकती है।

119- बसन्ता सम्पत दुपाडे बनाम महाराष्ट्र राज्य ए. आई. आर. 2017 एस. सी. 2530 के मामले में भी इसी प्रकार की परिस्थितियां थी, जिनमें “अभियुक्त द्वारा एक चार वर्षीय बालिका को अभियुक्त चाकलेट का लालच देकर अपने साथ उस समय ले गया जब वह अपने साथियों के साथ खेल रही थी उसके साथ अभियुक्त द्वारा क्रूरतापूर्वक बलात्कार करना, फिर पत्थर के बड़े टुकड़ों से उसकी हत्या कर देना विरल में भी विरलतम मामला माना गया है।” इस प्रकरण की परिस्थितियां भी उपरोक्त मामले के समान है तथा समतुल्य निष्कर्ष की है अतः यह मामला भी “विरल से विरलतम (rarest of the rare)” मामला है।

120. अतः इस मामले में गुरुत्तरकारी परिस्थितियां अर्थात् चरमवंचन और बर्बर तरीका जिसमें अपराध कारित किया गया था तथा यह तथ्य भी कि पीड़िता निःसहाय एक चार वर्षीय बालिका थी, स्पष्टतः लघुत्तरकारी परिस्थितियों पर भारी है।

121- परिणामस्वरूप अभियुक्त करण उर्फ फतिया को धारा 363 भा.दं.सं. के अपराध में 5 (पांच) वर्ष के सश्रम कारावास एवं 1000/—(एक हजार) रुपये के जुर्माने से दंडित किया जाता है। जुर्माने के व्यतिक्रम की दशा में अभियुक्त से 1(एक) वर्ष का सश्रम कारावास पृथक से भुगताया जावे।

122- अभियुक्त करण उर्फ फतिया को धारा 376 (2) (आय) भा.दं.सं. के अपराध में आजीवन कारावास एवं 5000/—(पांच हजार) रुपये के जुर्माने से दंडित किया जाता है। जुर्माने के

व्यतिक्रम की दशा में अभियुक्त से 2 (दो) वर्ष का सश्रम कारावास पृथक से भुगताया जाए।

123- अभियुक्त करण उर्फ फतिया को धारा 5 (एम) सहपठित धारा 6 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 के अपराध में “आजीवन कारावास” एवं 5000/—(पांच हजार) रुपये के जुर्माने से दंडित किया जाता है। जुर्माने के व्यतिक्रम की दशा में अभियुक्त से 2 (दो) वर्ष का सश्रम कारावास पृथक से भुगताया जाए।

124- अभियुक्त करण उर्फ फतिया को धारा 302 भा.दं.सं. के अपराध में “मृत्यु दण्ड” से तथा 5000/—रुपये के जुर्माने से दंडित किया जाता है जुर्माना अदा न करने की दशा में दो वर्ष का सश्रम कारावास पृथक से भुगताया जावे। मृत्यु दण्ड के दण्डादेश के संबंध में संबंध में आदेशित किया जाता है कि अभियुक्त की गर्दन में फाँसी लगाकर तब तक लटकाया जाए जब तक कि उसकी मृत्यु न हो जाए।

125- अभियुक्त करण उर्फ फतिया को धारा 201 भा.दं.सं. के अपराध में सिद्धदोष ठहराते हुए 5 (पांच) वर्ष के सश्रम कारावास एवं 1000/—(एक हजार) रुपये के जुर्माने से दंडित किया जाता है। जुर्माने के व्यतिक्रम की दशा में अभियुक्त से 1(एक) वर्ष का सश्रम कारावास पृथक से भुगताया जाए।

126- अभियुक्त को दिए गए “मृत्यु दण्डादेश” की पुष्टि किए जाने हेतु यह प्रकरण दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 366 (1) के अधीन माननीय उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, खण्डपीठ—इंदौर को प्रेषित किया जाए। मृत्यु दण्डादेश तब तक निष्पादित न किया जावे जब कि माननीय उच्च न्यायालय द्वारा उसकी पुष्टि न कर दी जावे।

127- दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 357 के प्रावधान अन्तर्गत जुर्माने की सम्पूर्ण राशि जमा होने पर अपीलावधि पश्चात् अभियोक्त्री के पिता (अ.सा.—1) को प्रतिकर स्वरूप प्रदान की जावे। इस न्यायालय के मत में उक्त जुर्माना राशि प्रतिकर/पुनर्वास हेतु अपर्याप्त प्रतीत होती है अतः मध्यप्रदेश अपराध पीड़िता प्रतिकर योजना, 2015 अन्तर्गत “प्रतिकर हेतु” अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण धार जिला धार से प्रतिकर की सिफारिश भी किया जाना उचित है।

128- दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 428 के अंतर्गत अभियुक्त भोगी गई निरोध की अवधि को कारावास के दण्डादेश के विरुद्ध मुजरा किया जावे। अभियुक्त गिरफ्तारी दिनांक 16-12-17 से निर्णय दिनांक 17-05-18 तक निरंतर न्यायिक अभिरक्षा में है।

129- अभियुक्त को दिये गये दण्डादेश में “आजीवन कारावास” एवं “सश्रम कारावास” की सजाएं साथ-साथ भुगताई जावे।

- 130- निर्णय की प्रति निःशुल्क अभियुक्त को तत्काल प्रदाय की जाये।
- 131- अभियुक्त न्यायिक अभिरक्षा में है। उसका मृत्यु दण्डादेश के अधीन सुपुर्दगी का वारंट तैयार किया जावे। मृत्यु दण्डादेश के वारंट पर यह टीप अंकित की जावे कि जब तक माननीय उच्च न्यायालय से मृत्यु दण्डादेश की पुष्टि नहीं हो जाती तब तक उक्त वारंट का निष्पादन नहीं किया जायेगा तब तक अभियुक्त को कारावास की सजा भुगताई जावे।
- 132- प्रकरण में जप्तशुदा सम्पत्ति अपीलावधि पश्चात् अथवा दण्डादेश की पुष्टि उपरांत माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेशानुसार नष्ट की जावे।

निर्णय मेरे श्रुतलेख पर टंकित किया जाकर दिनांकित एवं हस्ताक्षरित कर खुले न्यायालय में दृष्टिगोचर किया गया।

स्थान :- मनावर, जिला-धार (म.प्र.)

दिनांक : 17 मई, 2018

(अकबर शेख)

अपर सत्र न्यायाधीश,
मनावर, जिला-धार (म.प्र.)

(54)

विशेष प्रकरण क्रमांक-15/2018